केवल शासकीय प्रयोजनार्थ
(अध्ययन क्रमांक–411)

राजस्थान सरकार

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
का
जेन्डर प्रतिसंवेदी बजट

निदेशालय मूल्यांकन संगठन
योजना भवन,
जयपुर

उद्‌बोधन

मानव संसाधन समंक के अनुसार देश एवं प्रदेश में पुरूषों की संख्या के लगभग समरूप ही महिलाओं की संख्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में समान रूप से कार्य करने के अधिकार एवं अवसर के प्ररिप्रेक्ष्य में महिलाओं को समान अवसर सुलभ करवाने का शासकीय प्रयास रहा है। देश में शिक्षा प्रसार एवं आम जागरूकता के कारण महिलाऐं भी विकास एवं नीति निर्माण क्षेत्र में सहभागी बनकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देती रही हैं। महिलाओं के योगदान को स्वीकार करते हुए केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने महिलाओं के विकास, सशक्तिकरण एवं समान भागीदारी हेतु प्रयास करते हुए जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग की अवधारणा को साकार रूप देते हुए वार्षिक बजट घोषणा पत्रों में इसको यथेष्ठ स्थान दिया है।

राज्य में जन सेवाओं का लाभ महिलाओं तक कितना व किस तरह पहुँच रहा है, यह जानने के उद्धेश्य से माननीया मुख्यमंत्री ने अपने 2005–06 के बजट भाषण में जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग की आवश्यकता एवं वर्ष 2006–07 के बजट भाषण में जेन्डर बजटिंग एवं अंकेक्षण कार्य के विस्तार की घोषणा करने पर इनकी क्रियान्विति के संदर्भ में वर्ष 2006–07 में कुल 8 विभागों को चिन्हित् किया गया क्रमशः ग्रामीण विकास, स्वायत्त शासन, जनजाति विकास, उद्योग, सहकारिता, पशुपालन, वन एवं फलोद्यान। उक्त वर्णित विभागों के प्रथम 5 विभागों का जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग का कार्य राज्य मूल्यांकन संगठन एवं अन्तिम 3 विभागों का कार्य आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सहयोग से पूर्ण करवाया गया। इस बजट भाषण की अनुपालना में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा व्यक्तिगत लाभ के अतिरिक्त सामुदायिक विकास योजनाओं का भी क्रियान्वयन किया जाता है। इन योजनाओं से महिलाओं को यथेष्ठ लाभ प्राप्त हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि प्रतिवेदन तथा उसमें दिये गये सुझाव उपयोगी सिद्ध होंगे।

तिथि : जून,2007
स्थान : जयपुर

(वी.श्रीनिवास)
शासन सचिव, आयोजना

आमुख

जेन्डर बजटिंग व ऑडिटिंग अवधारणा को संक्षेप में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि ''शासकीय बजट प्रावधान में जेन्डर गेप (दूरी) के परीक्षण उपरान्त जेन्डर हेतु आनुपातिक बजट व्यवस्था से महिला वर्ग पर पड़े प्रभावों का अंकेक्षण तथा महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने की प्रतिबद्धता प्रकट करना।'' अन्य शब्दों में जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग एक अवधारणा है। सामान्य वित्तीय प्रक्रिया में बजट आवंटन जेन्डर बजटिंग नहीं होकर एक समेकित बजट होता है। जेन्डर बजटिंग/ऑडिटिंग के माध्यम से विभागीय बजट के विरूद्ध महिलाओं तथा बालिकाओं हेतु बजट प्रावधान तथा व्यय की प्रगति की समीक्षा की जाती है।

विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2004–05 से वर्ष 2006–07 (माह अक्टूबर, 2006 तक) की व्यक्तिगत लाभ से लाभान्वित होने वाले पुरूषों एवं महिलाओं की स्थिति स्पष्ट करती है। वर्ष 2004–05 में कुल लाभान्वितों में से लाभान्वित महिलाओं का प्रतिशत 40.2 रहा है, जो वर्ष 2005–06 में बढ़कर 41.3 प्रतिशत व वर्ष 2006–07 में 42.8 प्रतिशत (माह अक्टूबर,2006 तक) हो गया। वर्ष की समाप्ति तक इस प्रतिशत में और भी वृद्धि संभव है। व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं पर लाभान्वित महिलाओं पर व्यय का प्रतिशत भी लाभान्वित महिलाओं के प्रतिशत के अनुरूप ही हुआ है। वर्ष 2004–05 में कुल व्यय का 35 प्रतिशत, वर्ष 2005–06 में 43.4 प्रतिशत तथा वर्ष 2006–07 में 43.1 प्रतिशत हुआ। इन 3 वर्षों की कुल अवधि में कुल लाभान्वितों में से महिला लाभान्वितों का प्रतिशत 41 तथा कुल व्यय में महिलाओं पर व्यय का प्रतिशत 40 रहा।

जनजाति विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं में महिला लाभार्थियों की संख्या व व्यय दोनों ही सन्तोषजनक रहे हैं। विभाग को विशेष प्रयास कर उन कार्यक्रमों/योजनाओं में महिला लाभार्थियों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिये जो मूलतः महिलाओं से सम्बन्धित है अथवा महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आशा है कि प्रतिवेदन के निष्कर्ष एवं सुझाव कार्यकारी विभाग के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

तिथि : जून,2007
स्थान : जयपुर

(जी.आर.पाराशर)
निदेशक एवं पदेन उप सचिव

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
	निष्पादक संक्षेप	**i - vi**
1.0	**पृष्ठभूमि**	**1**
1.1	जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग (परिभाषा)	2
1.2	जेन्डर बजटिंग–ऑडिटिंग के उद्देश्य	2
1.3	जेन्डर बजटिंग–ऑडिटिंग हेतु शासकीय प्रयास	2
1.4	जेन्डर बजटिंग व ऑडिटिंग की आवश्यकता	3
1.5	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	3
1.6	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के उद्देश्य	4
2.0	**कार्य क्षेत्र**	**4**
2.1	अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Area)	4
2.2	परावर्तित क्षेत्र विकास उपागमन (माडा)	5
2.3	माडा कलस्टर योजना क्षेत्र	5
2.4	बिखरी जनजाति योजना क्षेत्र	5
2.5	सहरिया आदिम जाति क्षेत्र	5
3.0	**विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित योजनाएं**	**7**
3.1	उन्नत खाद प्रदर्शन	7
3.2	खरीफ एवं रबी फसल के लिए मिनीकिट वितरण	8
3.3	महिलाओं को एक दिवसीय प्रशिक्षण	8
3.4	स्टोरेज बिन वितरण	8
3.5	पौध संरक्षण कार्यक्रम	9
3.6	वी.पी.सी.पाईप वितरण कार्यक्रम	9
3.7	कपास प्रदर्शन	9
3.8	कृषि उत्पादन हेतु संयंत्र	10
3.9	वर्मी कम्पोस्ट प्रदर्शन	10
3.10	एकीकृत ग्राम विकास योजना (कृषि विश्वविद्यालय)	10
3.11	एकीकृत ग्राम विकास योजना (स्वच्छ)	11
3.12	उद्यानिक कार्यक्रम	12
3.13	सेरिकल्चर कार्यक्रम	13
3.14	मशरूम उत्पादन	14
3.15	कथोडी विकास कार्यक्रम	16
3.16	सहरिया समग्र विकास योजना	19
3.17	क्षेत्र रोग नियन्त्रण	21
3.18	माँ–बाड़ी केन्द	23
3.19	फ्लोरोसिस नियन्त्रण	24
3.20	फूड क्राफ्ट प्रशिक्षण	25
3.21	जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र, बांसवाड़ा	26
3.22	सूक्ष्म पोषक तत्व कार्यक्रम	27
3.23	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना (ए.एन.एम.)	28
3.24	जनजाति छात्रों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण	28
3.25	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में जनजाति प्रशिक्षणार्थियों को विशेष पाठ्यक्रम	29

3.26	आश्रम छात्रावास संचालन	30
3.27	आवासीय विद्यालय संचालन	31
3.28	छात्र गृह किराया योजना	32
3.29	खेल छात्रावास संचालन	33
3.30	विशेष शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण	33
3.31	विशेष बी.एड.प्रशिक्षण	34
3.32	मुफ्त स्टेशनरी वितरण (कक्षा प्रथम से पंचम्)	35
3.33	मुफ्त स्टेशनरी, पोशाक वितरण (कक्षा 6 से 12)	36
3.34	उच्च शिक्षा हेतु सहरिया छात्रों को आर्थिक सहायता	37
3.35	उच्च शिक्षा हेतु जनजाति की छात्राओं को आर्थिक सहायता	37
3.36	प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण बोर्ड व विश्वविद्यालय छात्रों को प्रोत्साहन	38
3.37	जनजाति छात्रों को प्रतिष्ठित विद्यालयों में शिक्षा	39
3.38	जनजाति छात्राओं को निःशुल्क साईकिल वितरण	40
3.39	जनजाति छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरण	41
3.40	जनजाति महिलाओं को आय संवर्धन	41
3.41	निःशुल्क आयोडीनयुक्त नमक वितरण	41
3.42	विशेष कोचिंग संचालन योजना	42
3.43	जनजाति प्रतिभावान छात्र/छात्राओं के लिए प्रतिभावान छात्रावास	42
3.44	स्वरोजगार	43
3.45	प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना एवं गम्भीर बीमारी हेतु सहायता	44
3.46	लघु वन उपज संग्रहण ओवरहैड चार्जेज	45
4.0	**सिंचाई योजनाएं**	**46**
4.1	विस्फोटन द्वारा कृषि कूप गहरा कराना	46
4.2	डीजल पम्पसेट का वितरण	46
4.3	एनिकट/वाटरशेड निर्माण	46
4.4	सामुदायिक जलोत्थान योजना	47
5.0	**पशुपालन एवं मत्स्य विभाग**	**47**
6.0	**सहकारिता विभाग**	**47**
7.0	**उद्यान विभाग के माध्यम से संचालित योजनाएं**	**47**
7.1	किचन गार्डन योजना	47
7.2	ट्राइकोडर्मा उपचार कार्यक्रम	48
7.3	कृषक मेला योजना	48
7.4	सब्जी विकास कार्यक्रम	48
8.0	**निष्कर्ष**	**48**
9.0	**सुझाव**	**49–50**
	परिशिष्ट–1	**51**

निष्पादक संक्षेप

I. मानव संसाधन समंक के अनुसार देश एवं प्रदेश के पुरूषों की संख्या के लगभग समरूप ही महिलाओं की संख्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में महिलाओं को समान अवसर सुलभ करवाने का शासकीय प्रयास रहा है। देश में शिक्षा प्रसार एवं सामान्य चेतना के कारण महिलाएं भी विकास एवं नीति निर्माण क्षेत्र में सहभागी बनकर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देती रही है। महिलाओं के योगदान को स्वीकार करते हुये केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने महिलाओं के विकास, सशक्तिकरण एवं समान भागीदारी हेतु प्रयास करते हुये 21वीं सदी में जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग की अवधारणा को साकार रूप देते हुये वार्षिक बजट घोषणा पत्रों में इसको यथेष्ट स्थान दिया गया है।

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग कार्य मूल्यांकन संगठन द्वारा वर्ष 2006–07 में किया गया है। यह प्रतिवेदन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई भौतिक एवं वित्तीय सूचना पर आधारित है।

II. जनजाति क्षेत्र :

(i) अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Area) :

राज्य के दक्षिण पूर्ण में स्थित 5 जिलों की 19 तहसीलों को सम्मिलित कर जनजाति क्षेत्र निर्मित किया गया है। इस क्षेत्र में जनजातियों का संघन आवास है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या 45.14 लाख है। इस जनसंख्या में से 30.93 लाख व्यक्ति जनजाति के व्यक्ति है जो कुल जनसंख्या का 68.52 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में सम्मिलित 5 जिलों में बांसवाड़ा (5) तथा डूंगरपुर (4) सम्पूर्ण जिले, उदयपुर की 7 पंचायत समितियाँ, चित्तौडगढ़ जिले की अरनोद व प्रतापगढ़ तहसील तथा सिरोही जिले की आबूरोड़ सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में आवासित जनजातियों में मुख्यतया भील, मीणा, गरासिया व डामोर प्रमुख है।

(ii) परावर्तित क्षेत्र विकास उपागमन (माडा) :

जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अतिरिक्त जनजाति व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु जिले को एक इकाई मानते हुए प्रत्येक लघु खण्ड़ की कुल जनसंख्या 10,000 या इससे अधिक तथा उसमें निवास करने वाली जनजाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत हो तथा गाँव एक दूसरे से जुड़े हो व सीमा पर स्थित सभी ग्रामों में 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की आबादी हो, के आधार पर माडा क्षेत्र बनाया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत 17 जिलों में 44 माडा लघु खण्ड़ों का गठन किया है, जिसमें 3592 ग्राम सम्मिलित है।

(iii) **माडा क्लस्टर योजना क्षेत्र :**

ऐसे क्लस्टर जिनकी कुल जनसंख्या 5000 या इससे अधिक है तथा जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या जनजाति की है, मे माडा क्लस्टर योजना लागू की जाकर विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं। राज्य के 8 जिलों में 11 माडा क्लस्टर्स स्वीकृत है जिसमें 161 ग्राम सम्मिलित हैं।

(iv) **बिखरी जनजाति योजना क्षेत्र :**

जनजाति उपयोजना, माडा लघु खण्ड़, माडा कलस्टर एवं सहरिया क्षेत्र के अतिरिक्त 17.31 लाख जनजाति के व्यक्ति 30 जिलों में बिखरे हुए है।

(v) **सहरिया आदिम जाति क्षेत्र :**

राज्य की एक मात्र आदिम जाति सहरिया है जो बारां जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसीलों में निवास करती है। उक्त दोनों ही तहसीलों के क्षेत्रों को सहरिया क्षेत्र में सम्मिलित किया जाकर सहरिया वर्ग के विकास के लिये सहरिया विकास समिति का गठन किया गया है।

III. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग :

जनजाति विकास के लिए भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान है। इसी संदर्भ में पांचवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1975 में जनजाति विकास विभाग की स्थापना की गयी।

IV. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के उद्देश्य :

(i) अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र का सर्वागीण विकास

(ii) जनजातियों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विकास

(iii) जनजाति विकास की विभिन्न योजनाओं का निर्माण, समन्वय, नियन्त्रण एवं निर्देशन

(iv) जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को अन्य क्षेत्रों के समकक्ष लाना एवं जनजाति वर्ग के जीवन स्तर का उन्नयन।

V. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को आवंटित बजट एवं व्यय की स्थिति :

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा सामुदायिक तथा व्यक्तिगत लाभ की अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। विभाग को निम्न चार मदों में बजट आवंटित होता है तथा व्यय किया जाता है। गत 3 वर्षों की अवधि में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्न सारणी के अनुसार रही है :–

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में वर्ष 2004–05 से 2006–07 की अवधि में आवंटन एवं व्यय की स्थिति

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मद	2004–05			2005–06			2006–07*		
		आवंटित राशि	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत	आवंटित राशि	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत	आवंटित राशि	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.	विशेष केन्द्रीय सहायता	4169.42	3258.76	78.16	3177.49	1978.87	62.28	3484.60	1627.55	46.71
2.	संविधान की धारा 275 (1)	2479.78	2610.15	105.26	993.94	2848.52	286.59	2200.00	1000.20	45.47
3.	राज्य योजना	3146.72	2405.29	76.44	7757.26	4886.26	62.99	7580.01	3936.01	51.93
4.	केन्द्र प्रवर्तित योजना	10.35	148.44	143.42	4.75	39.71	836.00	24.00	41.18	171.58
	योग	**9806.27**	**8422.64**	**85.89**	**11933.44**	**9753.36**	**81.73**	**13088.61**	**6605.02**	**50.46**

***माह दिसम्बर,2006 तक**

स्त्रोत–प्रशासनिक प्रतिवेदन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

उक्त सारणी में उपलब्ध बजट आवंटन एवं व्यय की सूचना के अनुसार क्षेत्र में कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय की स्थिति सन्तोषप्रद रही है।

उक्त मदों के अन्तर्गत संचालित योजनाएं/कार्यक्रम अधिकांशतया एक जैसी प्रवृति के हैं अतः विश्लेषण में सुविधा की दृष्टि से सभी योजनाओं/कार्यक्रमों का जेन्डर प्रतिसंवेदी विश्लेषण एक ही स्थान पर किया गया है।

VI. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी :

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में लाभान्वितों के आधार पर मुख्य–मुख्य योजनाओं का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :–

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की मुख्य–मुख्य व्यक्तिगत लाभकारी योजनाओं की गत तीन वर्षों की इकजाई (वर्ष 2004–05 से 2006–07 माह अक्टूबर तक) प्रगति का विवरण

क्र. सं.	कार्यक्रम	लाभान्वित (संख्या)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वितों का प्रतिशत		व्यय का प्रतिशत	
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	उन्नत खाद प्रदर्शन	2523	1056	3579	6.88	3.15	10.03	70.5	29.5	68.6	31.4
2.	खरीफ एवं रबी फसल के लिए मिनीकिट वितरण	68171	29209	97380	5883	25.17	84.00	70.0	30.0	70.0	30.0
3.	स्टोरेज बिन वितरण	2620	879	3499	13.07	4.39	17.46	74.88	25.12	74.87	25.14
4.	उद्यानिक व फलदार पौधों का वितरण	10679	716	11395	26.00	0.53	26.53	93.7	6.3	98.0	2.0
5.	सेरीकल्चर कार्यक्रम	982	743	1725	16.45	11.96	28.41	56.9	43.1	57.9	42.1
6.	मशरूम उत्पादन	633	547	1180	12.38	10.53	22.91	53.6	46.4	54.0	46.0
7.	क्षय रोग नियन्त्रण	4830	3536	8366	135.18	99.17	234.47	57.7	42.3	57.7	42.3
8.	जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र, बांसवाड़ा	146	355	501	3.85	8.72	12.57	29.1	70.9	30.6	69.4
9.	सूक्ष्म पोषक तत्व कार्यक्रम	9.79	7.11	16.90	174.07	121.20	295.27	57.9	42.1	58.9	41.1
10.	जनजाति छात्रों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण	1165	199	1364	116.97	19.34	136.31	85.4	14.6	85.8	14.2
11.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में जनजाति प्रशिक्षणार्थियों को विशेष पाठ्यक्रम	1729	82	1811	77.23	3.43	80.66	95.5	4.5	95.7	4.3
12.	माँ–बाड़ी केन्द्र	4385	4395	8760	160.22	162.19	322.41	50.0	50.0	49.7	50.3
13.	आश्रम छात्रावास संचालन	28292	12103	40395	2422.73	999.17	3421.90	70.0	30.0	70.8	29.2
14.	आवासीय विद्यालय संचालन	4112	1220	5332	368.80	116.08	484.45	77.1	22.9	76.1	23.9
15.	छात्र गृह किराया योजना	13394	3922	17314	190.72	55.65	246.37	77.4	22.6	77.4	22.6
16.	विशेष बी.पी.एड. प्रशिक्षण	93	27	120	15.63	4.63	20.26	77.5	22.5	77.2	22.8
17.	विशेष बी.एड. प्रशिक्षण	683	273	956	63.61	26.14	93.75	71.4	28.6	67.8	27.8
18.	प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण बोर्ड व विश्वविद्यालय छात्रों को प्रोत्साहन	3624	905	4529	127.25	31.80	159.05	80.0	20.0	80.0	20.0
19.	जनजाति छात्रों को प्रतिष्ठित विद्यालयों में शिक्षा	1914	682	2596	561.85	189.38	751.23	73.7	26.3	74.8	25.2
20.	स्वरोजगार	6301	1522	7823	608.42	147.72	756.14	80.54	19.46	80.46	19.54

VII. निष्कर्ष :

वर्ष 2004–05 से जनजाति क्षेत्र में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित समस्त व्यक्तिगत लाभकारी योजनाओं की जानकारी एवं विश्लेषण प्रतिवेदन में यथास्थान कर दिया गया है। विभाग द्वारा संचालित समस्त व्यक्तिगत लाभकारी योजनाओं की गत तीन वर्षों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निम्न सारणी में दर्शायी गयी है :–

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित व्यक्तिगत लाभकारी योजनाओं का गत तीन वर्षों (2004–05 से 2006–07) की वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित (संख्या)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वितों का प्रतिशत		व्यय का प्रतिशत	
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	2004–05	96653	64971	161624	2268.59	1222.41	3491.00	59.8	40.2	65.0	35.0
2.	2005–06	67436	47442	114877	2302.65	1763.84	4066.39	58.7	41.3	56.6	43.4
3.	2006–07*	28244	21152	49396	1237.04	936.13	2173.17	57.2	42.8	56.9	43.1
	योग	**192333**	**133565**	**325897**	**5808.28**	**3922.38**	**9730.56**	**59.0**	**41.0**	**60.0**	**40.0**

*** माह अक्टूबर 2006 तक**

यह सारणी वर्ष 2004–05 से वर्ष 2006–07 (माह अक्टूबर,2006 तक) की व्यक्तिगत लाभ से लाभान्वित होने वाले पुरूषों एवं महिलाओं की स्थिति स्पष्ट करती है। वर्ष 2004–05 में कुल लाभान्वितों में से लाभान्वित महिलाओं का प्रतिशत 40.2 रहा है, जो वर्ष 2005–06 में बढ़कर 41.3 प्रतिशत व वर्ष 2006–07 में 42.8 प्रतिशत (माह अक्टूबर,2006 तक) हो गया। वर्ष की समाप्ति तक इस प्रतिशत में और भी वृद्धि संभव है। व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं पर लाभान्वित महिलाओं पर व्यय का प्रतिशत भी लाभान्वित महिलाओं के प्रतिशत के अनुरूप ही हुआ है। वर्ष 2004–05 में कुल व्यय का 35 प्रतिशत, वर्ष 2005–06 में 43.4 प्रतिशत तथा वर्ष 2006–07 में 43.1 प्रतिशत हुआ। इन 3 वर्षों की कुल अवधि में कुल लाभान्वितों में से महिला लाभान्वितों का प्रतिशत 41 तथा कुल व्यय में महिलाओं पर व्यय का प्रतिशत 40 रहा।

जनजाति क्षेत्र में व्यक्तिगत योजनाओं के अतिरिक्त सामुदायिक योजनाऐं भी संचालित की गई इन पर वर्ष 2004–05 में 4931.64 लाख रुपये, वर्ष 2005–06 में 5686.97 लाख रुपये तथा वर्ष 2006–07 में माह अक्टूबर,2006 तक 2679.70 लाख रुपये व्यय किये गये।

संक्षेप में जनजाति विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं में महिला लाभार्थियों की संख्या व व्यय दोनों ही सन्तोषजनक रहे हैं। विभाग को विशेष प्रयास कर उन कार्यक्रमों/योजनाओं में महिला लाभार्थियों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिये जो मूलतः महिलाओं से सम्बन्धित है अथवा महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

———

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का
जेण्डर प्रतिसंवेदी बजट

1.0 पृष्ठभूमि :

वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार देश की कुल आबादी 102.86 करोड़ है जिसमें 53.21 करोड़ पुरूष एवं 49.65 करोड़ महिलाऐं हैं तथा लिंग अनुपात 933 (1000 पुरूष के विपरीत) एवं महिला साक्षरता दर 53.7 प्रतिशत है।

वर्ष 2001 की जनगणनानुसार राज्य की कुल जनसंख्या 5.65 करोड़ है, जिसमें 2.94 करोड़ पुरूष एवं 2.71 करोड़ महिलाऐं हैं। महिलाओं की साक्षरता दर 44.34 व पुरूषों की साक्षरता दर 76.46 है। राज्य में 1000 पुरूषों के विरूद्ध महिलाओं का लिंगानुपात 921 है, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्र में 930 व नगरीय क्षेत्र में 890 है।

मानव संसाधन समंक के अनुसार देश एवं प्रदेश में पुरूषों की संख्या के लगभग समरूप ही महिलाओं की संख्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में समान रूप से कार्य करने के अधिकार एवं अवसर के प्ररिप्रेक्ष्य में महिलाओं को समान अवसर सुलभ करवाने का शासकीय प्रयास रहा है। देश में शिक्षा प्रसार एवं आम जागरूकता के कारण महिलाऐं भी विकास एवं नीति निर्माण क्षेत्र में सहभागी बनकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देती रही हैं। महिलाओं के योगदान को स्वीकार करते हुए केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने महिलाओं के विकास, सशक्तिकरण एवं समान भागीदारी हेतु प्रयास करते हुए जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग की अवधारणा को साकार रूप देते हुए वार्षिक बजट घोषणा पत्रों में इसको यथेष्ठ स्थान दिया है।

महिला वर्ग को सशक्त बनाने हेतु जेन्डर (महिला+बालिका) बजटिंग को अब एक महत्वपूर्ण साधन माना जाकर महिलाओं की विकास क्षेत्र में समान भागीदारी मानी गयी है।

1.1 जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग (परिभाषा) :

जेन्डर बजटिंग व ऑडिटिंग अवधारणा को संक्षेप में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि ''शासकीय बजट प्रावधान में जेन्डर गेप (दूरी) के परीक्षण उपरान्त जेन्डर हेतु आनुपातिक बजट व्यवस्था से महिला वर्ग पर पड़े प्रभावों का अंकेक्षण तथा महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने की प्रतिबद्धता प्रकट करना।'' अन्य शब्दों में जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग एक अवधारणा है। **सामान्य वित्तीय प्रक्रिया में बजट आवंटन जेन्डर बजटिंग नहीं होकर एक समेकित बजट होता है। जेन्डर बजटिंग/ऑडिटिंग के माध्यम से विभागीय बजट के विरूद्ध महिलाओं तथा बालिकाओं हेतु बजट प्रावधान तथा व्यय की प्रगति की समीक्षा की जाती है।**

उल्लेखनीय है कि जेन्डर बजटिंग का अभिप्राय महिलाओं के लिए पृथक से बजट आवंटन करना नहीं है अपितु महिलाओं की कठिनाइयों के निराकरण के साथ बुनियादी सुविधा क्षेत्रों के विस्तार हेतु बजट व्यवस्था को अभिनिर्धारित किया जाना है तथा उपलब्ध बजट की सीमान्तर्गत नियमानुसार जेन्डर (महिला+बालिका) को लाभान्वित कराते हुए आनुपातिक व्यय अपेक्षित है।

1.2 जेन्डर बजटिंग–ऑडिटिंग के उद्देश्य :

(1) आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय का जेन्डर अनुपात को देखते हुए विश्लेषण करना।
(2) शासन द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत महिला वर्ग पर व्यय उपरान्त पडे प्रभाव का आकलन करना।
(3) महिलाओं हेतु संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना।
(4) महिलाओं को विकास क्षेत्र की मुख्य धारा में जोड़ने एवं उनके समग्र विकास हेतु सुझावों का संकलन करना।

1.3 जेन्डर बजटिंग–ऑडिटिंग हेतु शासकीय प्रयास :

आस्ट्रेलिया पहला देश था जिसने वर्ष 1984 में जेन्डर संवेदी बजट विकसित किया था इसी प्रणाली को दक्षिणी अफ्रीका ने 1995 में अपनाया था। वर्तमान समय में जेन्डर संवेदी बजट (GRB) को 35 देशों द्वारा अपनाया जा चुका है।

भारत में महिलाओं की स्थिति पर 1974 में स्थापित कमेटी के प्रतिवेदन पश्चात् लोक व्यय में जेन्डर परिपेक्ष्य महत्वपूर्ण होता जा रहा है। वर्ष 1992–97 की आठवीं पंचवर्षीय योजना ने सर्वप्रथम इस बात पर जोर दिया कि साधारण विकास योजनाओं से महिलाओं के विकास हेतु धन राशि का प्रवाह होना चाहिए। नवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) में पूर्व में स्वीकृत धारणा को पुनः सुनिश्चित करते हुए महिला भागीदारी योजना को अपनाते हुए केन्द्र तथा राज्य सरकारों को निर्देश दिये गये कि महिला संवर्ग पर कम से कम कोष का 30 प्रतिशत महिला संबंधी कार्य के लिए निर्धारित किया जाय। दसवीं योजना ने पूर्ण दृढ़ता के साथ महिला घटक योजना एवं जेन्डर रेस्पोन्सिव बजटिंग (GRB) की सम्पूरक भूमिका के बदौलत यह सुनिश्चित किया कि महिलाओं को विकास की यात्रा में अधिकारिक हिस्सा प्राप्त हो। सर्वप्रथम वर्ष 2001–02 के केन्द्रीय बजट में जेन्डर विश्लेषण का क्रियान्वयन किया गया।

ऐसा महसूस किया गया है कि राज्यों के बजट को जेन्डर परिपेक्ष्य में विश्लेषित किया जाये क्योंकि राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के कोष का महत्वपूर्ण भाग सामाजिक क्षेत्र पर व्यय किया जाता है जो अंततः महिला कल्याण विकास एवं सशक्तिकरण को प्रभावित करता है।

1.4 जेन्डर बजटिंग व ऑडिटिंग की आवश्यकता :

राज्य में जन सेवाओं का लाभ महिलाओं तक कितना व किस तरह पहुँच रहा है, यह जानने के उद्धेश्य से माननीया मुख्यमंत्री ने अपने 2006–07 के बजट भाषण में जेन्डर बजट अंकेषण की आवश्यकता पर जोर दिया। इस बजट भाषण की अनुपालना में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

1.5 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग :

जनजाति विकास के लिए भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान है। इसी संदर्भ में पांचवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1975 में जनजाति विकास विभाग की स्थापना की गयी।

1.6 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के उद्देश्य :

(1) अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र का सर्वांगीण विकास

(2) जनजातियों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विकास

(3) जनजाति विकास की विभिन्न योजनाओं का निर्माण, समन्वय, नियन्त्रण एवं निर्देशन

(4) जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को अन्य क्षेत्रों के समकक्ष लाना एवं जनजाति वर्ग के जीवन स्तर का उन्नयन।

2.0 कार्यक्षेत्र :

जनजाति विकास के लिये निम्नानुसार कार्यक्षेत्र का निर्धारण किया गया :–

2.1 अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Area):

राज्य के दक्षिण में स्थित 5 जिलों की 19 तहसीलों को सम्मिलित कर जनजाति क्षेत्र निर्मित किया गया है। इस क्षेत्र में जनजातियों का संघन आवास है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या 45.14 लाख है। इस जनसंख्या में से 30.93 लाख व्यक्ति जनजाति के है जो कुल जनसंख्या का 68.52 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में सम्मिलित 5 जिलों में बांसवाड़ा (5 तहसील) तथा डूंगरपुर (4 तहसील) सम्पूर्ण जिले, उदयपुर की 7 पंचायत समितियाँ, चित्तौडगढ़ जिले की अरनोद व प्रतापगढ़ तहसील तथा सिरोही जिले की आबूरोड़ पंचायत समिति सम्मिलित हैं। जिलेवार कुल एवं जनजाति की जनसंख्या का विवरण ***परिशिष्ट–1*** पर देखा जा सकता है। इस क्षेत्र में आवासित जनजातियों में मुख्यतया भील, मीणा, गरासिया व डामोर प्रमुख है।

अनुसूचित क्षेत्र में पुरूष एवं महिलाओं की संख्या का प्रतिशत लगभग समान है। इस क्षेत्र में सामान्य महिलाओं का प्रतिशत 49.73 तथा जनजाति महिलाओं का प्रतिशत 49.89 प्रतिशत है।

राज्य में महिला साक्षरता की दर 43.90 प्रतिशत है, लेकिन जनजाति क्षेत्र में साक्षरता की स्थिति अच्छी नहीं है। इस क्षेत्र में सामान्य महिलाओं की साक्षरता की दर 32.37 प्रतिशत तथा जनजाति महिलाओं की साक्षरता दर केवल 22.14 प्रतिशत है।

2.2 परावर्तित क्षेत्र विकास उपागमन (माडा) :

जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अतिरिक्त जनजाति व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु जिले को एक इकाई मानते हुए प्रत्येक लघु खण्ड़ की कुल जनसंख्या 10,000 या इससे अधिक तथा उसमें निवास करने वाली जनजाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत हो तथा गाँव एक दूसरे से जुड़े हो व सीमा पर स्थित सभी ग्रामों में 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की आबादी हो, के आधार पर माडा क्षेत्र बनाया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत 17 जिलों में 44 माडा लघु खण्ड़ों का गठन किया है, जिसमें 3592 ग्राम सम्मिलित है। माडा लघु खण्ड़ों की कुल जनसंख्या 28.51 लाख है जिसमें से 15.72 व्यक्ति जनजाति के है।

2.3 माडा कलस्टर योजना क्षेत्र :

ऐसे कलस्टर जिनकी कुल जनसंख्या 5000 या इससे अधिक है तथा जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या जनजाति की है, मे माडा क्लस्टर योजना लागू की जाकर विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं। राज्य के 8 जिलों में 11 माडा क्लस्टर्स स्वीकृत है जिसमें 161 ग्राम सम्मिलित हैं। माडा कलस्टर क्षेत्रों की कुल जनसंख्या 1.04 लाख है जिसमें से 0.57 व्यक्ति जनजाति के है।

2.4 बिखरी जनजाति योजना क्षेत्र :

जनजाति उपयोजना, माडा लघु खण्ड़, माडा कलस्टर एवं सहरिया क्षेत्र के अतिरिक्त 22.91 लाख जनजाति के व्यक्ति 30 जिलों में बिखरे हुए है।

2.5 सहरिया आदिम जाति क्षेत्र :

राज्य की एक मात्र आदिम जाति सहरिया है जो बारां जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसीलों में निवास करती है। उक्त दोनों ही तहसीलों के क्षेत्रों को सहरिया क्षेत्र में सम्मिलित किया जाकर सहरिया वर्ग के विकास के लिये सहरिया विकास समिति का गठन किया गया है। सहरिया क्षेत्र में 0.83 लाख जनजाति व्यक्ति निवास करते है।

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा सामुदायिक तथा व्यक्तिगत लाभ की अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। विभाग को निम्न चार मदों में बजट आवंटित होता है तथा व्यय किया जाता है। गत 3 वर्षों की अवधि में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्न सारणी के अनुसार रही है :–

सारणी संख्या–1

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में वर्ष 2004–05 से 2006–07 की अवधि में आवंटन एवं व्यय की स्थिति

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मद	2004–05			2005–06			2006–07*		
		आवंटित राशि	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत	आवंटित राशि	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत	आवंटित राशि	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.	विशेष केन्द्रीय सहायता	4169.42	3258.76	78.16	3177.49	1978.87	62.28	3484.60	1627.55	46.71
2.	संविधान की धारा 275 (1)	2479.78	2610.15	105.26	993.94	2848.52	286.59	2200.00	1000.20	45.47
3.	राज्य योजना	3146.72	2405.29	76.44	7757.26	4886.26	62.99	7580.01	3936.01	51.93
4.	केन्द्र प्रवर्तित योजना	10.35	148.44	143.42	4.75	39.71	836.00	24.00	41.18	171.58
	योग	**9806.27**	**8422.64**	**85.89**	**11933.44**	**9753.36**	**81.73**	**13088.61**	**6605.02**	**50.46**

***माह दिसम्बर,2006 तक**

स्त्रोत–प्रशासनिक प्रतिवेदन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

चित्र संख्या–1

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा आवंटित राशि से किये गये व्यय की स्थिति (वर्ष 2004–05 एवं 2005–06)

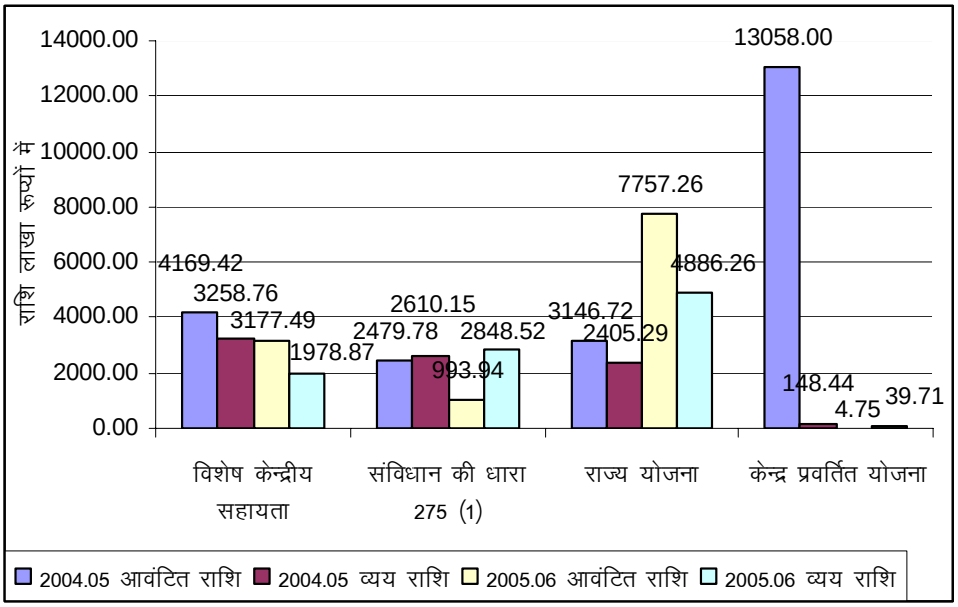

उक्त सारणी में उपलब्ध बजट आवंटन एवं व्यय की सूचना के अनुसार क्षेत्र में कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय की स्थिति सन्तोषप्रद रही है।

उक्त मदों के अन्तर्गत संचालित योजनाएं/कार्यक्रम अधिकांशतया एक जैसी प्रवृति के हैं। अतः विश्लेषण में सुविधा की दृष्टि से सभी योजनाओं/कार्यक्रमों का जेन्डर प्रतिसंवेदी विश्लेषण एक ही स्थान पर किया गया है।

3.0 विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित योजनाएं :

3.1 उन्नत खाद प्रदर्शन :

गत 3 वर्षों में 12.00 लाख रुपये का आवंटन किया गया तथा इस अवधि में 10.03 लाख रुपये व्यय किये गये। वर्ष 2004–05 से 2006–07 तक की व्यय एवं लाभार्थियों की स्थिति निम्न प्रकार रही है :–

सारणी संख्या–2

जनजाति क्षेत्र में उन्नत खाद प्रदर्शन की स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित (संख्या)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वितों का प्रतिशत		व्यय का प्रतिशत	
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	2004–05	1468	615	2083	3.75	1.85	5.60	70.5	29.5	67.0	33.0
2.	2005–06	40	13	53	0.11	0.04	0.15	75.5	24.5	73.3	26.7
3.	2006–07*	1015	428	1443	3.02	1.26	4.28	70.3	29.7	70.6	29.4
	योग	**2523**	**1056**	**3579**	**6.88**	**3.15**	**10.03**	**70.5**	**29.5**	**68.6**	**31.4**

*** माह अक्टूबर 2006 तक**

चित्र संख्या–2

उन्नत खाद प्रदर्शन में लाभान्वित पुरूषों एवं महिलाओं की संख्या

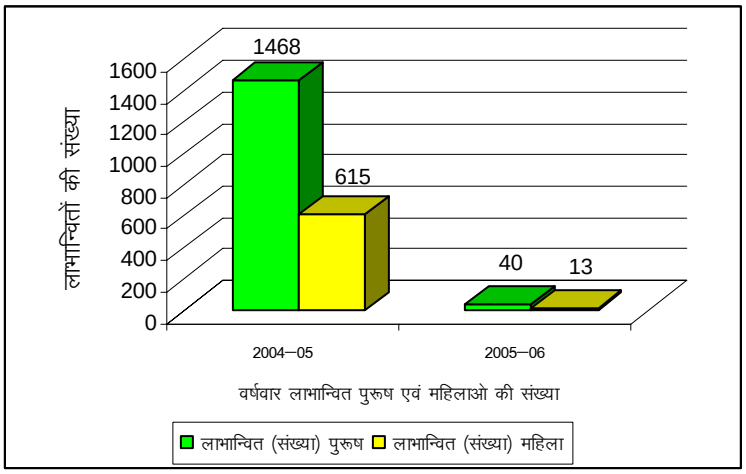

उक्त सारणी यह स्पष्ट करती है कि उन्नत खाद प्रदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत दिये गये लाभ में से महिलाओं का प्रतिशत लगभग एक–तिहाई रहा है। इसका कारण यह रहा है कि अधिकांशतया कृषि भूमि पुरूषों के नाम पर ही होती है।

3.2 खरीफ एवं रबी फसल के लिए मिनीकिट वितरण :

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गत 3 वर्षों का विवरण निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–3

मिनीकिट प्रदर्शन की स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित (संख्या)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वितों का प्रतिशत		व्यय का प्रतिशत	
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	2004–05	46898	20103	67001	26.58	11.26	37.84	70.0	30.0	70.2	29.8
2.	2005–06	17300	7413	24713	16.87	7.31	24.18	70.0	30.0	69.8	30.2
3.	2006–07*	3973	1693	5666	15.38	6.60	21.98	70.0	30.0	70.0	30.0
	योग	**68171**	**29209**	**97380**	**5883**	**25.17**	**84.00**	**70.0**	**30.0**	**70.0**	**30.0**

*** माह अक्टूबर 2006 तक**

उक्त तालिका में उपलब्ध सूचना यह स्थिति स्पष्ट करती है कि खरीफ एवं रबी फसलों के लिए जनजाति क्षेत्र में गत 3 वर्षों की अवधि में वितरित किये गये मिनीकिट की संख्या में महिलाओं की भागीदारी 30 प्रतिशत रही है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कृषि भूमि महिलाओं के नाम पर कम संख्या में होती है अतः कार्यक्रम का लाभ पुरूषों को ही अधिक दिया जाता है।

3.3 महिलाओं को एक दिवसीय प्रशिक्षण :

कृषि उत्पादन में महिला कृषक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः कृषि की समस्त उन्नत कृषि विधियों की तकनीकी जानकारी प्रदान की जाती है। इस हेतु महिलाओं के लिए शिविर आयोजित किये जाते हैं तथा प्रति महिला 1500 रुपये की राशि व्यय की जाती है। वर्ष 2004–05 में 22530 महिलाओं को लाभान्वित किया गया तथा इस कार्यक्रम पर 10.50 लाख रुपये व्यय किये गये।

3.4 स्टोरेज बिन वितरण :

खरीफ एवं रबी फसलों के उत्पादन को सुरक्षित रूप से भण्डारण करने हेतु एक ऐसी लोहे की टंकी उपलब्ध करवाई जाती है जिसमें अनाज हवा, पानी तथा नमी से सुरक्षित रह सके। वर्ष 2004–05 से वर्ष 2006–07 (अक्टूबर,2006) तक की स्थिति का विवरण निम्न तालिका में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–4

स्टोरेज बिन वितरण पर व्यय एवं लाभार्थी की स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित (संख्या)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वितों का प्रतिशत		व्यय का प्रतिशत	
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	2004–05	1750	525	2275	8.20	2.62	10.82	76.9	23.1	75.8	24.2
2.	2005–06	50	–	50	0.25	–	0.25	100.0	–	100.0	–
3.	2006–07*	820	354	1174	4.37	1.77	6.14	69.8	30.2	71.2	28.8
	योग	**2620**	**879**	**3499**	**13.07**	**4.39**	**17.46**	**74.88**	**25.12**	**74.87**	**25.14**

*** माह अक्टूबर 2006 तक**

वर्ष 2004–05 में लाभान्वित महिलाओं का प्रतिशत 23.1 रहा है तथा वर्ष 2005–06 में किसी भी महिला को लाभान्वित नहीं किया गया। वर्ष 2006–07 में 30.2 प्रतिशत महिलाओं को स्टोरेज हेतु टंकी का वितरण किया गया।

3.5 पौध संरक्षण कार्यक्रम :

खरीफ एवं रबी फसलों में कीडे व बीमारी का प्रकोप होने पर फसल को बचाने के लिये पौध सरंक्षण उपाय अपनाकर कीडे व बीमारी पर नियन्त्रण करने के उद्देश्य से नवीन योजना प्रारम्भ की गई। वर्ष 2004–05 में 2.09 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया। प्रति कृषक 200/– प्रति हेक्टर की दर से दवा के रूप में शत–प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

3.6 पी.वी.सी.पाईप वितरण कार्यक्रम :

सिंचाई हेतु पानी का अधिकतम उपयोग हो ताकि कम पानी में अधिक उत्पादन लिया जा सके इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2004–05 में 30.00 लाख रुपये का व्यय किया गया। वर्ष 2005–06 में 30.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया। इस योजना में 200 मीटर तक पीवीसी पाईप 50 प्रतिशत अनुदान के आधार पर कृषक को दिया जाता है।

3.7 कपास प्रदर्शन :

जनजाति कृषक के 0.2 हेक्टर क्षेत्र में कपास प्रदर्शन में 1000 रुपये प्रति प्रदर्शन लागत का 50 प्रतिशत अनुदान पर 500 रुपये मूल्य के खाद, बीज, दवा व तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2004–05 में 10.00 लाख रुपये व्यय किये गये तथा 2000 कृषकों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2005–06 में 5.74 लाख रुपये व्यय किये गये तथा 1523 कृषकों को लाभान्वित किया गया। इनमें से 423 (27.8 प्रतिशत) महिला कृषकों को लाभ दिया गया तथा 1.61 लाख रुपये व्यय किये गये जो कुल व्यय का 39 प्रतिशत है।

3.8 कृषि उत्पादन हेतु संयंत्र :

कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु विभिन्न प्रकार के संयंत्रों का वितरण किया जाता है। वर्ष 2006–07 में अक्टूबर,2006 तक 700 कृषकों को लाभान्वित किया गया तथा 35 लाख रुपये व्यय किये गये। इनमें से 480 पुरूष कृषक है तथा 220 (31.4 प्रतिशत) महिला कृषक है। महिला पर 11 लाख रुपये व्यय किये गये जो कुल व्यय का 31.4 प्रतिशत है।

3.9 वर्मी कम्पोस्ट प्रदर्शन :

वर्मी कम्पोस्ट प्रदर्शन केवल पुरूष कृषकों को ही दिया गया है। वर्ष 2006–07 में माह अक्टूबर,2006 तक 667 कृषकों को वर्मी कम्पोस्ट के प्रदर्शन से जोड़ा गया तथा 2.42 लाख रुपये की राशि व्यय की गई। महिला कृषकों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया।

3.10 एकीकृत ग्राम विकास योजना (कृषि विश्वविद्यालय) :

राज्य के उदयपुर, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों में जनजाति उपयोजना क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं इससे सम्बन्धित मजदूरी का कार्य है। इन लोगों के पास कृषि क्षेत्र बहुत छोटा है तथा इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति भी कमजोर है पिछले कुछ वर्षों से लगातार अकाल के कारण आदिवासी जनजाति के लोग राज्य से पलायन कर अन्य राज्यों में मजदूरी हेतु चले जाते हैं। इन आदिवासी जनजाति के लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु 3 जिलों (उदयपुर, बांसवाड़ा एवं डूँगरपुर) के 18 ग्रामों के कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु यह परियोजना संचालित की गई। इस परियोजना के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्य किये गये :–

1. **संस्थागत प्रशिक्षण** – प्रत्येक चयनित ग्राम के जनजाति कृषकों एवं कृषक महिलाओं तथा खेतीहर मजदूरों हेतु कृषि एवं कृषि आधारित प्रशिक्षण।

2. अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण।

3. बांस/खजूर के हस्तकला की वस्तुऐं तैयार करना, पलास के पत्तों से पत्तल तथा दौने तैयार करना एवं फूलों से प्राकृतिक रंग निकालना।

4. मधु–मक्खी पालना, रतनजोत से तेल निकालना आदि।

इस परियोजना के अन्तर्गत व्यय एवं लाभार्थियों की स्थिति निम्नानुसार रही है :–

सारणी संख्या–5
एकीकृत ग्राम विकास योजनान्तर्गत संस्थागत प्रशिक्षण पर व्यय एवं लाभार्थी (कृषि विश्वविद्यालय)

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित (संख्या)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वितों का प्रतिशत		व्यय का प्रतिशत	
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	2005–06	2600	1300	3900	59.05	29.53	88.58	66.7	33.3	66.7	33.3
2.	2006–07*	996	300	1296	20.74	6.25	26.99	76.8	23.2	76.8	23.2
	योग	**3596**	**1600**	**5169**	**79.79**	**35.78**	**115.57**	**69.21**	**30.79**	**69.04**	**30.96**

*** माह अक्टूबर 2006 तक**

उक्त सारणी में उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2005–06 में कुल लाभार्थियों में से 33.3 प्रतिशत लाभार्थी महिला रही तथा वर्ष 2006–07 में माह अक्टूबर,2006 तक महिलाओं को दिये जाने वाले लाभ का प्रतिशत 23.2 रहा। दो वर्षों की अवधि में इस योजना के अन्तर्गत 30.79 प्रतिशत महिलाओं को लाभान्वित किया गया।

3.11 एकीकृत ग्राम विकास योजना (स्वच्छ) :

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे जनजाति के व्यक्तियों के सामाजिक/आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु उपयोजना क्षेत्र के 24 ग्रामों के विकास की यह योजना लागू की गई है। इस योजना में कृषकों की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सामाजिक चेतना, मानव संसाधन विकास, कृषि, पशु, सिंचाई एवं वानिकी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं रोजगार से सम्बन्धित कार्यक्रमों का समावेश किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत महिला समूहों का गठन कर आर्थिक स्थिति में सुधार किया गया है। वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 की स्थिति का विवरण निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–6
स्वच्छ योजनान्तर्गत रोजगार से सम्बन्धित कार्यक्रमों पर व्यय एवं लाभार्थी

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित (संख्या)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वितों का प्रतिशत		व्यय का प्रतिशत	
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	2005–06	507	645	1152	52.24	72.15	124.39	44.0	56.0	42.0	58.0
2.	2006–07*	486	517	1003	49.10	53.55	102.65	48.5	51.5	47.8	52.2
	योग	**993**	**1162**	**2155**	**101.34**	**125.70**	**227.04**	**46.08**	**53.92**	**44.64**	**55.36**

*** माह अक्टूबर 2006 तक**

चित्र संख्या–3
एकीकृत ग्राम विकास योजना (स्वच्छ) के अन्तर्गत रोजगार सम्बन्धित कार्यक्रमों में लाभार्थी पुरूष एवं महिलाओं की संख्या एवं प्रतिशत

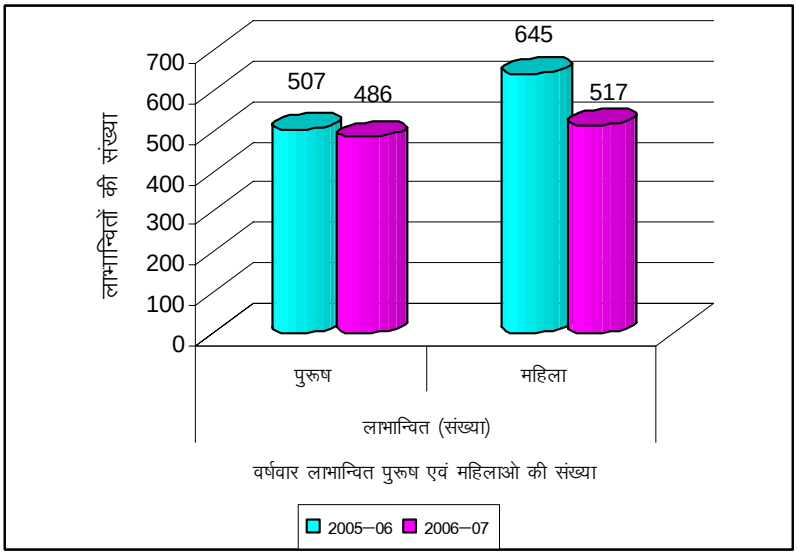

उक्त सारणी यह स्थिति स्पष्ट करती है कि इस परियोजना में महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत से अधिक रही है। वर्ष 2005–06 की अवधि में 60 प्रतिशत महिला लाभार्थी रही है, वर्ष 2006–07 में माह अक्टूबर,2006 तक महिला लाभार्थियों का प्रतिशत 51.5 रहा है। इस परियोजना में कृषि एवं जनचेतना आधारित गतिविधियाँ क्रियान्वित की गई है।

3.12 उद्यानिक कार्यक्रम :

अनुसूचित क्षेत्र में उद्यान विभाग के माध्यम से योजनाएं संचालित करवायी जा रही है। इस कार्यक्रम का वर्ष 2004–05 से 2006–07 (माह अक्टूबर,2006 तक) का प्रगति विवरण निम्न सारणी में दिया गया है :–

सारणी संख्या–7
फलदार पौधों के वितरण पर व्यय एवं लाभार्थी

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित (संख्या)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वितों का प्रतिशत		व्यय का प्रतिशत	
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	2004–05	5168	240	5408	13.70	0.16	13.86	95.5	4.5	98.8	1.2
2.	2005–06	4479	397	4876	11.84	0.33	12.17	91.8	8.2	97.3	2.7
3.	2006–07*	1032	79	1111	0.46	0.4	0.50	93.0	7.0	92.0	8.0
	योग	**10679**	**716**	**11395**	**26.00**	**0.53**	**26.53**	**93.7**	**6.3**	**98.0**	**2.0**

*** माह अक्टूबर 2006 तक**

यह सारणी स्पष्ट करती है कि इस कार्यक्रम में मुख्य भागीदारी पुरूषों की रही है, महिलाओं की भागीदारी 10 प्रतिशत से भी कम ही रही है।

3.13 सेरीकल्चर कार्यक्रम :

क्षेत्र के जनजाति कृषकों को निरन्तर रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग द्वारा सेरीकल्चर कार्यक्रम उदयपुर जिले में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम से परम्परागत फसलों की तुलना में कृषक तीन गुना अधिक आमदनी प्राप्त कर रहा है। रेशम उत्पादन से जुड़ी गतिविधियों जैसे रेशम कीटपालन, रेशम धागाकरण, शहतूत पौधरोपण, शहतूत नर्सरी उत्पादन, बांस उपकरण निर्माण आदि में जनजाति कृषक अपने श्रम का योगदान देकर निरन्तर लाभ अर्जित कर रहे हैं। सेरीकल्चर कार्यक्रम के अन्तर्गत जनजाति कृषकों को एक बार शहतूत यूनिट लगाने पर 1000 रुपये अनुदान तथा रेशम कीट पालन हेतु बांस उपकरण के लिए 1500 रुपये का अनुदान दिया जाता है।

सेरीकल्चर कार्यक्रम की वर्ष 2004–05 से 2006–07 (अक्टूबर,2006तक) की स्थिति निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–8
सेरीकल्चर कार्यक्रम की प्रगति

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित (संख्या)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वितों का प्रतिशत		व्यय का प्रतिशत	
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	2004–05	481	419	900	6.85	5.96	12.81	53.4	46.6	53.5	46.5
2.	2005–06	319	181	500	7.07	4.01	11.08	63.8	36.2	63.8	36.2
3.	2006–07*	182	143	325	2.53	1.99	4.52	56.0	44.0	56.0	44.0
	योग	**982**	**743**	**1725**	**16.45**	**11.96**	**28.41**	**56.9**	**43.1**	**57.9**	**42.1**

*** माह अक्टूबर 2006 तक**

चित्र संख्या–4
सेरीकल्चर कार्यक्रम से वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 में लाभान्वित पुरूष एवं महिलाओं की संख्या

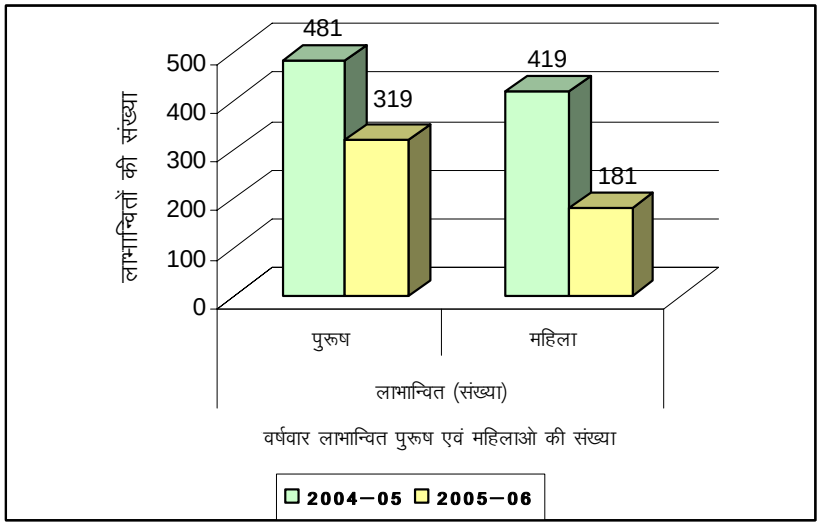

उक्त सारणी में उपलब्ध सूचना यह स्पष्ट करने में सक्षम है कि रेशम उत्पादन कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी 36 प्रतिशत से 47 प्रतिशत तक रही है। यद्यपि वर्ष 2004–05 में इस कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी 46.6 प्रतिशत थी, परन्तु वर्ष 2005–06 में इसमें कुछ कमी आई तथा लगभग 10 प्रतिशत कम होकर 36.2 प्रतिशत ही रह गई। वर्ष 2006–07 में पुनः रेशम उत्पादन कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी 44 प्रतिशत हो गई। जहाँ तक महिलाओं पर व्यय की स्थिति है वह महिलाओं की भागीदारी के अनुरूप ही है।

3.14 मशरूम उत्पादन :

क्षेत्र के जनजाति कृषकों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने तथा आर्थिक उत्थान हेतु विभाग द्वारा मशरूम कार्यक्रम उदयपुर जिले में संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में ढिंगरी तथा बटन दो प्रकार की मशरूम की खेती करवाई जा रही है। विभाग द्वारा कृषकों को मशरूम उत्पादन हेतु 2200 रुपये का अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। मशरूम उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2004–05, 2005–06 एवं 2006–07 (माह अक्टूबर,2006) की प्रगति निम्न तालिका में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–9

जनजाति क्षेत्र में मशरूम उत्पादन की प्रगति

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित (संख्या)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वितों का प्रतिशत		व्यय का प्रतिशत	
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	2004–05	237	213	450	0.77	0.69	1.46	52.7	47.3	52.7	47.3
2.	2005–06	235	195	430	5.06	4.19	9.25	54.6	45.4	54.7	45.3
3.	2006–07*	161	139	300	6.55	5.65	12.20	53.7	46.3	53.7	46.3
	योग	**633**	**547**	**1180**	**12.38**	**10.53**	**22.91**	**53.6**	**46.4**	**54.0**	**46.0**

*** माह अक्टूबर 2006 तक**

चित्र संख्या–5

मशरूम उत्पादन कार्यक्रम में लाभान्वित पुरूष एवं महिला की संख्या एवं लाभान्वित महिलाओं पर किये गये व्यय का प्रतिशत (वर्ष 2004–05 एवं 2005–06)

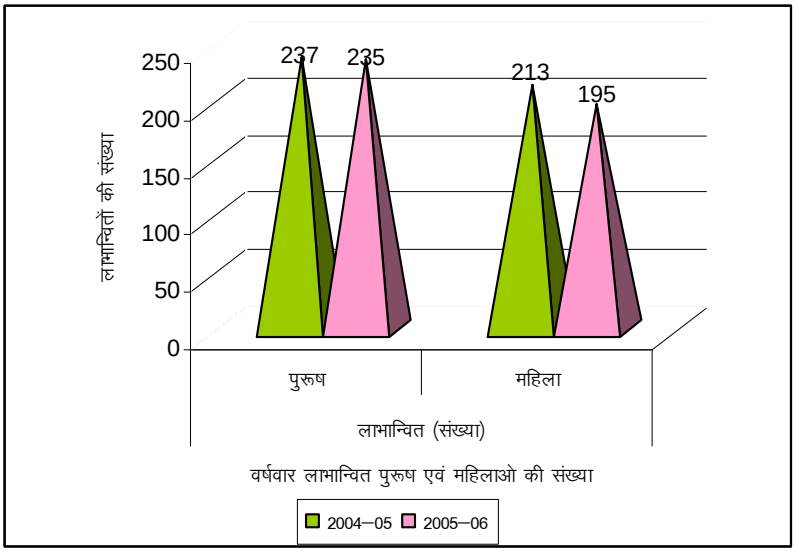

उपरोक्त सारणी के अनुसार मशरूम उत्पादन कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी 45 प्रतिशत से अधिक रही है। वर्ष 2004–05 में महिलाओं की भागीदारी 47. 3 प्रतिशत रही तथा वर्ष 2005–06 में यह 45.4 प्रतिशत रही। वर्ष 2006–07 में (माह अक्टूबर,2006) यह पुनः 46.3 प्रतिशत हो गई। उक्त कार्यक्रम में व्यय की स्थिति भी यही रही है।

3.15 कथोडी विकास कार्यक्रम :

उदयपुर जिले की पंचायत समिति झाडोल एवं कोटडा में निवासरत कथोडी समुदाय के समग्र विकास हेतु मार्च,2005 में 100.00 लाख रुपये स्वीकृत किये गये। इस योजना के अन्तर्गत उन्नत बीज एवं कृषि उपकरण वितरण, सामुदायिक नवीन कूप निर्माण, डीजल पम्प सैट वितरण, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण, आवास निर्माण, माँ–बाड़ी केन्द्र संचालन, निर्धूम चूल्हों का निर्माण, आपणी दुकान, स्वच्छता एवं ममता किट, स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण, सिंचाई संसाधन उपलब्ध कराने, आवास निर्माण, हैण्ड़पम्प स्थापन, माँ–बाड़ी केन्द्र संचालन, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति चेतना जागृत करना तथा आय सृजन की गतिविधियों का प्रावधान है। वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 (माह अक्टूबर,2006) तक की प्रगति निम्न सारणी में दी गई है :–

सारणी संख्या–10
कथौडी विकास कार्यक्रम की प्रगति

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित (संख्या)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वितों का प्रतिशत	
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला
1.	2005–06	109	128	237	21.56	23.40	44.96	46.0	54.0
2.	2006–07*	133	157	290	35.27	19.77	55.04	45.9	54.1
	योग	**242**	**285**	**527**	**56.83**	**43.17**	**100.00**	**45.9**	**54.1**

*** माह अक्टूबर 2006 तक**

चित्र संख्या–6
कथौडी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थी पुरूषों एवं महिलाओं की संख्या एवं उनका प्रतिशत

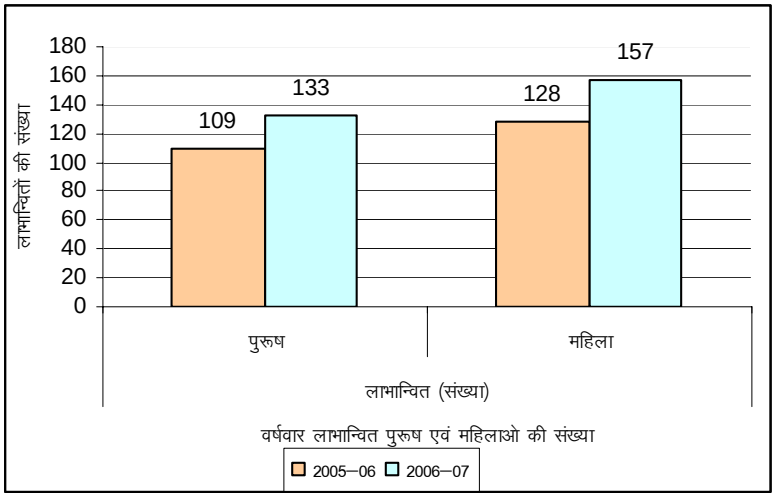

उक्त सारणी में उपलब्ध समंक यह स्थिति स्पष्ट करते है कि कथोडी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित महिलाओं का प्रतिशत वर्ष 2005–06 तथा 2006–07 में लगभग समान 54 प्रतिशत रहा है। कार्यक्रम के तहत संचालित विभिन्न गतिविधियों की प्रगति निम्न प्रकार रही :–

(i) **उन्नत बीज एवं कृषि उपकरण वितरण :**

खाद्यान्न, दलहन एवं तिलहन का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से उन्नत किस्मों के बीज कृषकों में वितरित किया जाता है। 0.2 हैक्टर क्षेत्र के लिए मक्का हेतु 5 किलो, उडद 4 किलो एवं तुवर के 3 किलो बीज उपलब्ध करवाये जाते हैं।

विभिन्न कृषि कार्यों को उन्नत कृषि यन्त्रों का उपयोग करने से समय, श्रम एवं धन की बचत होती है, साथ ही उन्नत कृषि यंत्रों से उत्पादन अधिक होता है तथा लागत में कमी आती है। कृषि यंत्र लाभार्थी को लगभग आधी कीमत पर प्राप्त हो जाता है। कथौड़ी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2006–07 में 448 कृषकों को लाभान्वित किया गया। इन लाभान्वितों की संख्या में महिला कृषकों की संख्या की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है।

(ii) **सामुदायिक नवीन कूप निर्माण :**

जनजाति उपयोजना क्षेत्र अरावली पर्वत मालाओं के उबड–खाबड पहाड़ी क्षेत्र में फैला होने से वर्षा जल का सतही भण्ड़ारण संभव नहीं होता है, परिणामस्वरूप इस क्षेत्र के कृषक सिंचाई संसाधन हेतु भू–जल पर ही निर्भर रहते हैं। नवीन कूप स्थापना की इकाई लागत अधिक होने से जनजाति कृषक स्वयं के संसाधन से व्यक्तिगत नव कूप स्थापना में लगभग असमर्थ रहता है। अतः ऐसे क्षेत्रों में पाँच या अधिक संख्या में कृषक सामुदायिक नवीन कूप का निर्माण करते हैं। वर्ष 2005–06 में कुल 31 नवीन कूप निर्माण करवाये गये थे जिनमें से 20 (64.5 प्रतिशत) नवीन कूप में महिला कृषकों की भागीदारी रही है। वर्ष 2006–07 में 17 सामुदायिक नवीन कूप निर्माण की सूचना प्राप्त हुई है, इनमें महिलाओं की भागीदारी की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है।

(iii) **डीजल पम्प सैट वितरण :**

कृषकों को उनके कृषि भूमि के आस–पास सतही जल व उनके कृषि कूप में उपलब्ध जल के उपयोग के लिए डीजल एवं विद्युत पम्प सैट जलोत्थान के साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। योजना की लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है। वर्ष 2005–06 में 5 एवं 2006–07 में 25 कृषकों को योजना से लाभान्वित किया गया।

(iv) **वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण :**

इस क्षेत्र में अवस्थित नदी–नाले अत्याधिक ढ़लान वाले होने से एक ओर तो वर्षा का जल तीव्र गति से बहकर व्यर्थ चला जाता है, दूसरी ओर कृषकों को नालों के समीप अवस्थित भूमि का कटाव होता है। अतः उक्त क्षति को रोकने के उद्देश्य से यह योजना चलायी जा रही है जिससे जल बहाव की गति पर नियन्त्रण किया जाता है तथा जल का सतही भण्ड़ारण किया जाता है। भण्ड़ारित जल से सतही जल का कृषक जलोत्थान योजना के माध्यम से लाभ लेते हैं। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2005–06 में 20 तथा वर्ष 2006–07 में 27 पुरूष कृषकों को लाभान्वित किया गया।

(v) **आवास निर्माण :**

कथौडी जनजाति परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 2005–06 में कुल 85 कथौडी जनजाति की महिलाओं को लाभान्वित किया गया। इस प्रकार इस योजना का शत–प्रतिशत लाभ महिलाओं को दिया गया।

(vi) **माँ–बाड़ी केन्द्र संचालन :**

इस योजना के अन्तर्गत कथौडी जाति के बालक–बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ा जाता है। इन केन्द्रों पर बालक–बालिकाओं को नाश्ता, दिन का भोजन, पोशाक एवं अन्य शैक्षणिक सुविधायें उपलब्ध करवायी जाती हैं। वर्ष 2005–06 में कुल 160 बालक–बालिकाओं को लाभान्वित किया गया था इनमें से बालिकाओं की संख्या 10 (6.25 प्रतिशत) रही है।

(vii) **निर्धूम चूल्हों का निर्माण :**

परम्परागत चूल्हों के प्रयोग से धूआं अधिक होता है जो महिलाओं की आँखों तथा फैफड़ों के लिए हानिकारक होता है। इससे बचने के लिए इस क्षेत्र में निर्धूम चूल्हों का निर्माण करवाया गया। वर्ष 2005–06 में 128 एवं वर्ष 2006–07 में 157 निर्धूम चूल्हों के निर्माण से इस अवधि में कुल 285 महिलाओं को लाभ प्राप्त हुआ।

(viii) **आपणी दुकान :**

इस क्षेत्र में दुकानदारों द्वारा अधिक लाभ कमाया जाता है। कथौडी परिवारों को इस शोषण से मुक्ति दिलवाने के उद्देश्य से आपणी दुकान योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना से वर्ष 2006–07 में 9 पुरूषों को लाभान्वित किया गया।

(ix) **स्वच्छता एवं ममता किट :**

स्वच्छता के महत्व को समझाने एवं स्वच्छता की आदत डालने के लिए कथौडी जनजाति के 500 परिवारों को वर्ष 2006–07 में स्वच्छता एवं ममता किट वितरण किया गया।

(x) स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण :

कथौडी जनजाति के परिवारों के आर्थिक उन्नयन हेतु ग्राम स्तर की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक उत्पादों का निर्माण ग्राम स्तर पर नवीन तकनीक द्वारा प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाता है जिससे व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से गृह उद्योग संचालन करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। रेडीमेड, होजरी, ऊनी वस्त्रों, सिलाई, साबुन बनाना, डिटर्जेन्ट निर्माण तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे आदिवासी महिलायें स्वयं अथवा सामूहिक रूप से ग्राम स्तर पर स्वयं के व्यवसाय का संचालन कर अपनी आजीविका प्राप्त करने में सक्षम हो सकेगी। प्रशिक्षण अवधि में कुछ भत्ता भी दिया जाता है। वर्ष 2005–06 में 13 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया जो कुल प्रशिक्षणार्थियों (40) का 32.5 प्रतिशत रहा। वर्ष 2006–07 में 60 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया इनमें से महिलाओं की संख्या की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। भविष्य में पुरूष एवं महिला प्रशिक्षणार्थियों की संख्या अलग–अलग संहारित करने की सिफारिश की जाती है।

3.16 सहरिया समग्र विकास योजना :

बारां जिले की पंचायत समिति शाहबाद एवं किशनगंज में सहरिया आदिवासी निवास करते हैं अतः इसे सहरिया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। पंचायत समिति शाहबाद में 159 ग्राम तथा पंचायत समिति किशनगढ़ में 176 ग्राम हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार क्षेत्र के कुल 335 ग्रामों में से 275 ग्रामों में लगभग 75992 सहरिया आदिवासी निवास कर रहे हैं। पंचायत समिति शाहबाद में कुल जनसंख्या का 37 प्रतिशत एवं पंचायत समिति किशनगढ़ का 27 प्रतिशत सहरिया जनसंख्या है।

बारां जिले की पंचायत समिति शाहबाद एवं किशनगंज में निवासरत सहरिया समुदाय के समग्र विकास की योजना हेतु मार्च,2005 में 100.00 लाख रुपये स्वीकृत किया गया। इस योजना के अन्तग्रत जलग्रहण विकास, एनीकट निर्माण, कूप निर्माण, आवास निर्माण, स्वयं सहायता समूह का गठन, आय सृजन की गतिविधियाँ एवं जन चेतना सम्बन्धित कार्यक्रम सम्मिलित है। वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 की अवधि में सहरिया विकास कार्यक्रम में व्यय एवं लाभान्वितों की स्थिति निम्न तालिका में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–11

सहरिया समग्र विकास योजना की प्रगति

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित (संख्या)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वितों का प्रतिशत		व्यय का प्रतिशत	
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	2005–06	347	284	631	38.56	31.55	70.11	55.0	45.0	55.0	45.0
2.	2006–07*	148	121	269	16.45	13.44	29.89	55.0	45.0	55.0	45.0
	योग	**495**	**405**	**900**	**55.01**	**44.99**	**100.00**	**55.0**	**45.0**	**55.0**	**45.0**

*** माह अक्टूबर 2006 तक**

सहरिया समग्र विकास योजना के अन्तर्गत सामुदायिक एवं व्यक्तिगत लाभ के कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे है। उक्त सारणी में उपलब्ध सूचना के अनुसार इस कार्यक्रम में महिला लाभान्वितों का प्रतिशत 45 रहा तथा पुरूषों की भागीदारी 55 प्रतिशत रही है।

सहरिया समग्र विकास योजना के अन्तर्गत संचालित मुख्य कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार है :–

(i) **जलग्रहण विकास कार्य :**

शाहबाद एवं किशनगढ़ क्षेत्र में अवस्थित नदी नाले अत्याधिक ढ़लान वाले होने से एक ओर वर्षा का जल तीव्र गति से बहकर व्यर्थ चला जाता है, दूसरी ओर सहरिया कृषकों की नालों के समीप वाली भूमि का कटाव भी होता हैं। अतः उक्त क्षति को रोकने के उद्देश्य से जलग्रहण विकास कार्य चलाये जा रहे हैं। वर्ष 2005–06 में 367 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया, इनमें से महिला लाभान्वितों की संख्या 139 (37.9 प्रतिशत) रही है। वर्ष 2006–07 में कुल 183 व्यक्तियों को कार्यक्रम का लाभ दिया गया, इनमें से 101 (55.2 प्रतिशत) महिलाओं को लाभान्वित किया गया। उक्त दोनों वर्षों की स्थिति का अवलोकन करने से यह जानकारी प्राप्त होती है कि कुल लाभान्वित कृषकों की संख्या 550 रही तथा महिला लाभान्वितों की संख्या 240 (43.6 प्रतिशत) रही है।

(ii) **ग्रेन स्टोरेज ड्रम वितरण :**

खरीफ एवं रबी फसलों के उत्पादन का सुरक्षित रूप से भण्ड़ारण करने हेतु एक लोहे की टंकी उपलब्ध करवाई जाती है जिसमें अनाज, हवा, पानी तथा नमी से सुरक्षित रह सके। सहरिया क्षेत्र में वर्ष 2005–06 की अवधि में 300 ग्रेन स्टोरेज ड्रमों का वितरण किया गया।

(iii) **डीजल पम्प सेट वितरण :**

सहरिया क्षेत्र के कृषकों द्वारा उनके भूमि के आस–पास उपलब्ध सतही जल व उनके कृषि कूप में उपलब्ध जल के उपयोग के लिए डीजल पम्प सेट जलोत्थान के साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इस योजना की लागत लगभग 20,000 रुपये हैं जिस पर 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है। शेष राशि की व्यवस्था कृषक स्वयं या अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण के रूप में प्राप्त करता है। विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2005–06 में 30 डीजल पम्प सैट सहरिया कृषकों को उपलब्ध करवाये गये। वर्ष 2003–04 में 21 सहरिया कृषकों को 2.08 लाख रुपये व्यय कर पम्प सैट वितरित किये गये थे।

(iv) **उन्नत नस्ल बकरा वितरण :**

पशु पालन में बकरी पालन सहरिया परिवारों में लोकप्रिय है। इस व्यवसाय में अधिक पूँजी लगाये जाने की आवश्यकता नहीं है। इसे और अधिक सशक्त बनाये जाने हेतु उन्नत नस्ल के बकरे सहरिया परिवारों को उपलब्ध करवाये जाते हैं। वर्ष 2005–06 में 100 उन्नत नस्ल के बकरे सहरिया महिलाओं को उपलब्ध करवाये गये।

(v) **कूप गहरा करवाना एवं नवीन कूप निर्माण :**

सिंचाई हेतु उपलब्ध जल के पूर्ण उपयोग हेतु पुराने कुओं को गहरा करवाने एवं नवीन कूप निर्माण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवायी जाती है। वर्ष 2005–06 में कूप गहरा करवाने के लिए 35 कृषकों एवं नवीन कूप निर्माण के लिए 10 सहरिया कृषकों को लाभान्वित किया गया।

(vi) **ट्यूब वैल निर्माण :**

सहरिया क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र में फैला होने के कारण वर्षा का सतही भण्ड़ारण संभव नहीं होता है, परिणामस्वरूप सहरिया कृषक सिंचाई संसाधन हेतु भूजल पर निर्भर होने लगे हैं। भूजल का स्तर भी धीरे–धीरे अधिक गहराई तक जाने लगा है अतः नलकूप ही मात्र भूजल दोहन का उपाय शेष रहता है। वर्ष 2005–06 में सहरिया क्षेत्र के 10 कृषकों को नलकूप निर्माण हेतु सहायता उपलब्ध करवायी गई।

(vii) **आवास निर्माण :**

सहरिया क्षेत्र के गरीब परिवारों को आवास निर्माण हेतु सहायता उपलब्ध करवायी जाती है। वर्ष 2005–06 में 45 महिलाओं तथा वर्ष 2006–07 में 20 महिलाओं को लाभान्वित किया गया।

(viii) **आय सृजन गतिविधियाँ :**

गृह उद्योग हेतु सहरिया परिवारों को प्रशिक्षण दिया जाता है इसके अन्तर्गत सिलाई, रेडीमेड होजरी, साबुन, डिटर्जेन्ट आदि सामग्री तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 2005–06 में 15 एवं वर्ष 2006–07 में 10 पुरूषों को प्रशिक्षण दिया गया। भविष्य में इस प्रकार का प्रशिक्षण महिलाओं को भी दिए जाने की सिफारिश की जाती है।

3.17 **क्षय रोग नियन्त्रण :**

अनुसूचित क्षेत्र तथा सहरिया क्षेत्र में गरीबी, अशिक्षा, स्वच्छता का अभाव, मद्यपान इस रोग के मुख्य कारण है, यह छूत की बीमारी होने के कारण परिवार में एक व्यक्ति को क्षय रोग होने से परिवार के सभी सदस्यों को यह बीमारी होने की संभावना हो जाती है। सामान्यतया जनजाति आबादी दूरदराज के क्षेत्र में निवास करती

है तथा स्वास्थ्य सुविधाएं आस–पास उपलब्ध नहीं होती है। जनजाति व्यक्तियों में क्षय रोग का प्रकोप अधिक रहता है तथा निदान हेतु नियमित उपचार अनिवार्य होता है किन्तु जनजाति व्यक्ति के लिए कार्य दशाओं एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की दूरी के कारण नियमित उपचार लिया जाना संभव नहीं हो पाता है अतः इस समस्या के निदान हेतु स्वच्छ परियोजना के माध्यम से क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है जिसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा क्षय रोगियों की पहचान कर उन्हें नियमित उपचार उपलब्ध कराया जाता है तथा पोष्टिक सत्तु दिया जाता है। वर्ष 2004–05 से वर्ष 2006–07 (माह अक्टूबर,2006 तक) की स्थिति की जानकारी निम्न सारणी में दी गई है :–

सारणी संख्या–12

क्षय रोग से लाभान्वित व्यक्ति एवं व्यय की स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित (संख्या)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वितों का प्रतिशत		व्यय का प्रतिशत	
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	2004–05	1729	1360	3089	47.38	37.32	84.70	56.0	44.0	56.0	44.0
2.	2005–06	1933	1537	3470	54.60	43.87	98.47	56.0	44.0	55.4	44.6
3.	2006–07*	1168	639	1807	33.20	18.10	51.30	64.6	35.4	64.7	35.3
	योग	**4830**	**3536**	**8366**	**135.18**	**99.17**	**234.47**	**57.7**	**42.3**	**57.7**	**42.3**

*** माह अक्टूबर 2006 तक**

चित्र संख्या–7

क्षय रोग से लाभान्वित पुरूष एवं महिला की संख्या एवं महिलाओं पर किये गये व्यय का प्रतिशत (वर्ष 2004–05 एवं 2005–06)

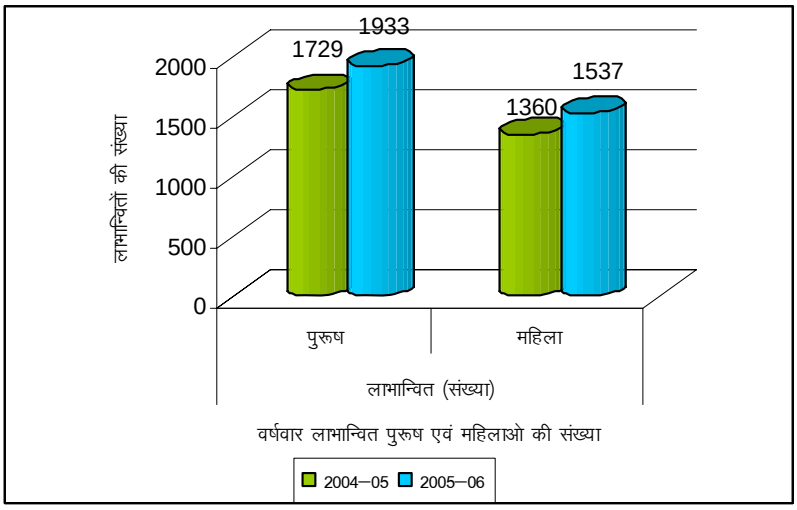

यह सारणी स्पष्ट करती है कि क्षय रोग से ग्रसित होने वालों में पुरूषों की संख्या महिलाओं की तुलना में अधिक है अतः उपचार भी पुरूषों का ही अधिक हुआ है। यद्यपि महिलाओं की संख्या भी 44 प्रतिशत रही है। इस ही संख्या के अनुरूप व्यय भी हुआ है।

3.18 माँ–बाड़ी केन्द्र :

बारां जिले की पंचायत समिति शाहबाद एवं किशनगंज सहरिया बाहुल्य क्षेत्र है तथा सहरिया आदिम जनजाति है। इनमें शिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता नहीं है अतः सहरिया बालक/बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु वर्ष 2000 में यह योजना प्रारम्भ की गई। इन केन्द्रों के माध्यम से सहरिया समुदाय के 6 से 12 वर्ष की उम्र के शिक्षा से वंचित बालक/बालिकाओं को प्रारम्भिक शिक्षा के साथ–साथ अल्पाहार, मिड–डे–मील, स्कूल ड्रेस उपलब्ध कराई जाती है। इन केन्द्रों का संचालन भी सहरिया समुदाय के सहयोग से किया जाता है तथा इसी समुदाय के शिक्षक नियुक्त है तथा केन्द्र पर आने वाले बालकों की माताओं को भी भोजन व्यवस्था एवं स्वच्छता के लिये केन्द्र से जोड़ा गया है। प्रत्येक केन्द्र पर 30 सहरिया बालक/बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है। वर्ष 2004–05 तक 30 माँ–बाड़ी केन्द्र संचालन के लिए 147.98 लाख स्वीकृत किये गये तथा 147.85 लाख का व्यय किया गया। वर्ष 2005–06 में 100 अतिरिक्त माँ बाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये है तथा वर्तमान में सहरिया क्षेत्र में 130 माँ बाड़ी केन्द्र संचालित है। इन केन्द्रों पर 3900 बालक/बालिकाऐं अध्ययनरत है। माँ–बाड़ी में अध्ययन उपरान्त 782 बालक–बालिकाओं को औपचारिक शिक्षा केन्द्रों में प्रवेश दिलाना संभव हुआ है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2005–06 में स्वीकृत 100 माँ–बाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु रुपये 75.00 लाख महाराष्ट्र पेटर्न के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये हैं।

माँ–बाड़ी केन्द्रों से लाभान्वित होने वाले बालक–बालिकाओं की संख्या निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–13

माँ–बाड़ी केन्द्र से लाभान्वित छात्र–छात्राऐं

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित संख्या (लाखों में)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वितों का प्रतिशत		व्यय का प्रतिशत	
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
1.	2004–05	475	485	960	73.16	74.69	147.85	49.5	50.5	49.5	50.5
2.	2005–06	1945	1955	3900	30.35	30.50	60.85	49.9	50.1	49.9	50.1
3.	2006–07*	1945	1955	3900	56.71	57.00	113.71	49.9	50.1	49.9	50.1
	योग	**4385**	**4395**	**8760**	**160.22**	**162.19**	**322.41**	**50.0**	**50.0**	**49.7**	**50.3**

*** माह अक्टूबर 2006 तक**

चित्र संख्या –8

माँ–बाड़ी केन्द्रों से लाभान्वित छात्र–छात्राओं की संख्या एवं छात्रों पर किये गये व्यय का प्रतिशत (वर्ष 2004–05 एवं 2005–06)

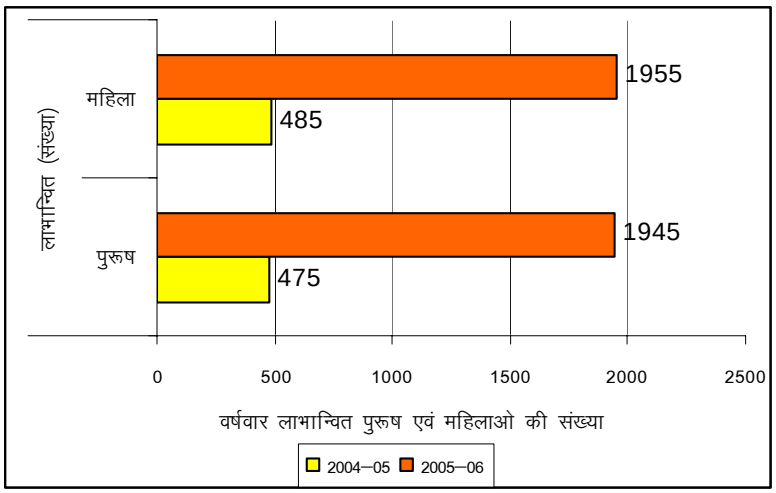

माँ–बाड़ी विद्यालयों के सम्बन्ध में उक्त सारणी छात्र–छात्राओं के नामांकन की स्थिति स्पष्ट करती है। इस नामांकन में बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या अधिक रही है जो बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरूकता को प्रमाणित करती है। यहाँ यह स्थिति भी संभव है कि बालक पहले से ही अन्य विद्यालयों में अध्ययनरत थे परन्तु बालिकाऐं माँ–बाड़ी केन्द्र प्रारम्भ होने से ही नामांकित हो सकी। सहरिया क्षेत्र की इन माँ–बाड़ी केन्द्रों में 50 प्रतिशत बालिकाएं नामांकित की गई जिसे बालिका शिक्षा के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

3.19 फ्लोरोसिस नियन्त्रण :

स्वच्छ परियोजना द्वारा वर्ष 1996 से उदयपुर संभाग के फ्लोरोसिस प्रभावित ग्रामों में 3 पी.पी.एम. से अधिक फ्लोराइड की मात्रा वाले पेयजल स्त्रोत का चयन किया गया। चयनित क्षेत्र के ग्रामवासियों को फ्लोराइड मुक्त पेयजल हेतु घरेलु स्तर पर पानी को फ्लोराइड मुक्त करने की तकनीक का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उदयपुर जिले की चार पंचायत समितियों के 119 ग्राम, राजसमन्द जिले की 4 पंचायत समिति के 62 ग्राम, डूँगरपुर जिले की 3 पंचायत समितियों के 113 ग्राम एवं बांसवाड़ा जिले की 8 पंचायत समितियों के 113 ग्रामों में एक्टीवेटेड एल्यूमिना तकनीक आधारित 28346 डोमेस्टिक डिफ्लोरीडेशन किट का वितरण किया जा चुका है। कार्यक्रम में जनसहभागिता प्राप्त करने के लिये 478 ग्राम

स्तरीय कार्यकर्ताओं (एनीमेटर्स) को प्रशिक्षण दिया गया तथा 234 ग्रामों में रीजनेरेशन कक्ष स्थापित किये गये। एनीमेटर्स के द्वारा नियमित रूप से एक्टीवेटेड एल्यूमिना का रीजनेरेशन किया जा रहा है तथा ग्रामवासियों को फ्लोरोसिस रोग से बचाव के बारे में जानकारी दी जाती है। स्वच्छ द्वारा 1505 राजकीय कर्मचारियों को भी फ्लोरोसिस रोग के कारण एवं बचाव का प्रशिक्षण दिया गया है।

इसके अतिरिक्त स्वच्छ द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से उदयपुर मुख्यालय पर एक प्रयोगशाला भी स्थापित की गई तथा प्रयोगशाला में 17002 पानी के नमूनों की जाँच की जा चुकी है।

स्वच्छ परियोजना को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न स्त्रोतों (TAD/ RGNDWM/ UNICEF) से 798.22 लाख रुपये प्राप्त हुए है तथा दिसम्बर,2005 तक 796.78 लाख का व्यय किया गया है। वर्ष 2004–05 से वर्ष 2005–06 तक पुरूष वर्ग एवं महिला वर्ग के लाभान्वित व्यक्तियों एवं उन पर किये गये व्यय की स्थिति निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–14

फ्लोरोसिस नियन्त्रण कार्यक्रम की प्रगति

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित (संख्या)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वितों का प्रतिशत		व्यय का प्रतिशत	
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	2005–06	1477	795	2272	21.97	11.82	33.79	65.0	35.0	65.0	35.0
2.	2006–07*	1064	573	1637	6.53	3.51	10.04	65.0	35.0	65.0	35.0
	योग	**2541**	**1368**	**3909**	**28.50**	**15.33**	**43.83**	**65.0**	**35.0**	**65.0**	**35.0**

*** माह अक्टूबर 2006 तक**

पेयजल का उपयोग सभी करते हैं। अतः क्षेत्र में लाभान्वित पुरूष एवं महिलाओं की संख्या के अनुसार ही व्यय किया गया है।

3.20 फूड क्राफ्ट प्रशिक्षण :

होटल व्यवसाय में प्रशिक्षण के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से संचालित फूड क्राफ्ट संस्थान के 4 व्यवसायों में जनजाति युवक–युवतियों के लिए 40 अभ्यार्थियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। प्रशिक्षणरण छात्र–छात्राओं को 500 रुपये छात्रवृत्ति, फीस पुनर्भरण एवं पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती है। उत्तीर्ण होने पर राष्ट्रीय होटल प्रबन्धन परिषद्, नई दिल्ली द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है जो कि रोजगार प्राप्ति के लिए मान्यता प्राप्त है।

फूड क्राफ्ट प्रशिक्षण में जनजाति क्षेत्र की बालिकाओं की भागीदारी कम ही रही है। वर्ष 2004–05 में केवल एक बालिका द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया जिस पर लगभग 0.12 लाख रुपये व्यय किया गया। वर्ष 2005–06 में किसी भी बालिका ने इस क्षेत्र में रूचि नहीं दिखाई। वर्ष 2006–07 में 2 बालिकाऐं यह प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं जिस पर 0.31 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। इस क्षेत्र में वर्ष 2004–05 में 19 व वर्ष 2005–06 में 20 बालकों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। वर्ष 2006–07 में 38 बालकों द्वारा यह प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है।

3.21 जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र, बांसवाड़ा :

नर्सिंग क्षेत्र में प्रशिक्षण में जनजाति क्षेत्र की बालिकाओं द्वारा अच्छी संख्या में प्रशिक्षण लिया जा रहा है जैसाकि वर्ष 2004–05 से 2006–07 तक की प्रगति के अवलोकन से स्पष्ट होता है। यह प्रगति निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–15
जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण की प्रगति

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित (संख्या)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वितों का प्रतिशत		व्यय का प्रतिशत	
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	2004–05	55	95	150	1.51	2.45	3.96	36.7	63.3	38.1	61.9
2.	2005–06	56	119	175	1.68	3.59	5.27	32.0	68.0	31.9	68.1
3.	2006–07*	35	141	176	0.66	2.68	3.34	19.8	80.2	19.8	80.2
	योग	**146**	**355**	**501**	**3.85**	**8.72**	**12.57**	**29.1**	**70.9**	**30.6**	**69.4**

*** माह अक्टूबर 2006 तक**

चित्र संख्या–9
जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण में पुरूष एवं महिलाओं की संख्या एवं व्यय का प्रतिशत (वर्ष 2004–05 एवं 2005–06)

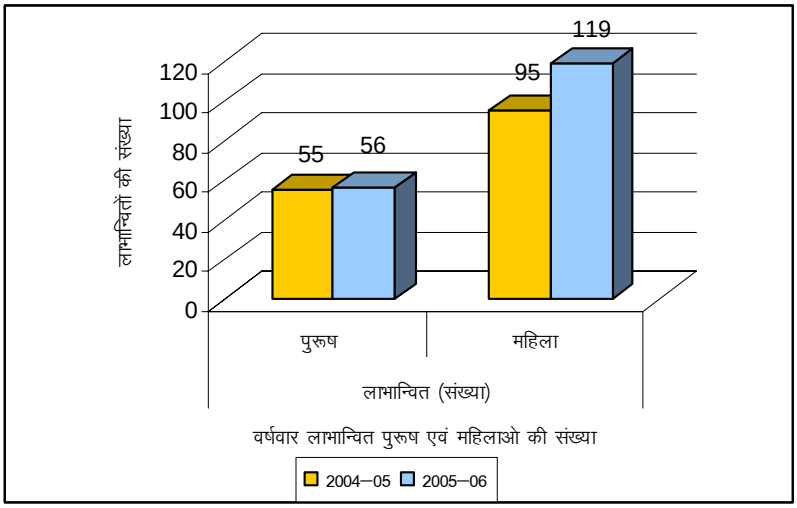

वर्ष 2004–05 से वर्ष 2006–07 तक की सूचना स्पष्ट करती है कि इस प्रशिक्षण में बालिकाओं की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ी है। वर्ष 2004–05 में बालिकाओं की भागीदारी 63.3 प्रतिशत थी जो वर्ष 2006–07 में 80.2 प्रतिशत हो गई, यह एक अच्छा परिवर्तन माना जाना चाहिए।

3.22 सूक्ष्म पोषक तत्व कार्यक्रम :

जनजाति परिवारों के भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी पायी जाती है। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों में इस कमी की पूर्ति के लिए चिकित्सा विभाग के माध्यम से सूक्ष्म पोषक तत्वों का वितरण विद्यालयों में किया जाता है। वर्ष 2004–05 से 2006–07 तक की स्थिति निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–16
सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण कार्यक्रम

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित संख्या (लाखों में)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वितों का प्रतिशत		व्यय का प्रतिशत	
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
1.	2004–05	2.67	1.90	4.57	113.50	80.77	194.27	58.4	41.6	58.4	41.6
2.	2005–06	4.12	2.75	6.87	60.57	40.43	101.00	60.0	40.0	60.0	40.0
3.	2006–07*	3.00	2.46	5.46	–	–	–	54.9	45.1	–	–
	योग	**9.79**	**7.11**	**16.90**	**174.07**	**121.20**	**295.27**	**57.9**	**42.1**	**58.9**	**41.1**

*** माह अक्टूबर 2006 तक**

सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण में विद्यालय जाने वाले उन्हीं बालक–बालिकाओं को सम्मिलित किया जाता है जिन बालक–बालिकाओं में इनकी कमी पायी जाती है। विद्यालयों में अध्ययनरत बालक–बालिकाओं के स्वास्थ्य की जाँच के बाद चिकित्सक द्वारा सूक्ष्म पोषक तत्व दिये जाने की सिफारिश करते हैं। अतः सूक्ष्म पोषक तत्वों का वितरण सभी अध्ययनरत बालक–बालिकाओं में नहीं किया जाता है।

3.23 बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना (एएनएम):

जनजाति क्षेत्रों में चिकित्सा की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से बहुउद्देशीय स्वास्थ्यकर्ता योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत केवल महिला स्वास्थ्यकर्ता ही कार्यरत है जैसाकि निम्न सारणी से स्पष्ट है :–

सारणी संख्या–17

बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना की प्रगति

क्र.सं.	वर्ष	महिला स्वास्थ्यकर्ता (संख्या)	व्यय (लाख रुपयों में)
1.	2004–05	1119	97.35
2.	2005–06	1119	325.81
3.	2006–07*	1119	163.03

*** माह अक्टूबर 2006 तक**

उक्त सारणी से स्पष्ट है कि गत 3 वर्षों की अवधि में महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्यकर्ता ही कार्यरत है अर्थात् यह पूर्ण योजना महिला द्वारा ही क्रियान्वित की जा रही है। गत तीन वर्षों में इस योजना पर कुल 586.19 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

3.24 जनजाति छात्रों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण :

जनजाति छात्र/छात्राओं को नियमित अध्ययन सुविधायें उपलब्ध करवाने के साथ ही कम्प्यूटर प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध करवायी जाती है। इस प्रशिक्षण से उन्हें अच्छी नौकरी प्राप्त करने में सुविधा हो जाती है। वर्ष 2004–05 से 2006–07 (अक्टूबर,2006 तक) तक अवधि में जनजाति क्षेत्र के छात्र–छात्राओं को निम्न सारणी में उपलब्ध सूचना के अनुसार लाभान्वित किया गया :–

सारणी संख्या–18
जनजाति छात्र/छात्राओं को कम्प्यूटर प्रशिक्षण

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित संख्या (लाखों में)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वितों का प्रतिशत		व्यय का प्रतिशत	
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
1.	2004–05	378	62	440	41.39	6.90	48.29	86.0	14.0	85.7	14.3
2.	2005–06	523	109	632	48.04	10.22	58.26	82.7	17.3	82.4	17.6
3.	2006–07*	264	28	292	27.54	2.22	29.76	90.4	9.6	92.5	7.5
	योग	**1165**	**199**	**1364**	**116.97**	**19.34**	**136.31**	**85.4**	**14.6**	**85.8**	**14.2**

*** माह अक्टूबर 2006 तक**

उक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि कम्प्यूटर प्रशिक्षण में छात्राओं की संख्या छात्रों की तुलना में बहुत कम रही है। वर्ष 2005–06 में कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं में से लाभान्वित छात्राओं का प्रतिशत केवल 17.3 रहा है। अतः इस क्षेत्र में छात्राओं को कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए जागरूकता पैदा किये जाने की आवश्यकता है।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण की सुविधा अधिकांशतया बड़े कस्बों तक ही सीमित है। अतः केवल स्थानीय बालिकायें ही इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर पाती है। अन्य ग्रामों में कस्बों से दूर निवास करने वाली जनजाति क्षेत्र की बालिकायें कम्प्यूटर प्रशिक्षण से लाभ प्राप्त नहीं कर पाती है। अतः इस कार्यक्रम को छोटे कस्बों/ग्रामों तक ले जाने की आवश्यकता है।

3.25 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में जनजाति प्रशिक्षणार्थियों को विशेष पाठ्यक्रम :

जनजाति के युवकों को रोजगारोन्मुख व्यवसायों का प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार चलाने अथवा तकनीकी क्षेत्र में रोजगार के लिए तैयार करने के लिए तकनीकी शिक्षा निदेशालय के माध्यम से 14 से 30 वर्ष की आयु के युवकों को इंजीनियरिंग एवं गैर इंजीनियरिंग में एक एवं दो वर्षीय प्रशिक्षण वेल्डर प्लम्बर, डीजल मैकेनिक, हिन्दी एवं अंग्रेजी स्टेनो, फिटर, वायरमैन, इलेक्ट्रोनिक्स एवं रेडियो, टी.वी. आदि व्यवसायों में प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं स्वरोजगार प्रारम्भ करने योग्य बनाया जाता है। प्रशिक्षणरत छात्रों को 150 रुपये प्रतिमाह छात्रवृति प्रदान की जाती है। उत्तीर्ण होने पर राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

औद्योगिक प्रशिक्षण में जनजाति क्षेत्र के युवकों द्वारा अधिक सक्रियता दिखाई गई तथा अधिक संख्या में प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस क्षेत्र की युवतियों द्वारा भी औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त किया, परन्तु इनकी संख्या तुलनात्मक रूप से कम रही जैसा कि निम्न सारणी से स्पष्ट होता है :–

सारणी संख्या–19
औद्योगिक प्रशिक्षण

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित संख्या (लाखों में)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वितों का प्रतिशत		व्यय का प्रतिशत	
		युवक	युवती	योग	युवक	युवती	योग	युवक	युवती	युवक	युवती
1.	2004–05	545	32	577	25.66	1.51	27.17	94.4	5.6	94.4	5.6
2.	2005–06	622	21	643	43.92	1.53	45.45	96.7	3.3	96.6	3.4
3.	2006–07*	562	29	591	7.65	0.39	8.04	95.1	4.9	95.1	4.9
	योग	**1729**	**82**	**1811**	**77.23**	**3.43**	**80.66**	**95.5**	**4.5**	**95.7**	**4.3**

*** माह अक्टूबर 2006 तक**

उक्त सारणी में उपलब्ध सूचना के अनुसार इस प्रशिक्षण में युवतियों की भागीदारी कम रही है अतः इस क्षेत्र में युवतियों की हिस्सेदारी में वृद्धि किये जाने के लिए यह आवश्यक है कि जनजाति क्षेत्र की युवतियों में जागृति पैदा की जावें। जनजाति क्षेत्र की बालिकाओं के लिए प्रशिक्षण हेतु प्रचार–प्रसार किया जावें।

3.26 आश्रम छात्रावास संचालन :

जनजाति के छात्र–छात्राओं में शिक्षा के प्रति रूचि में वृद्धि एवं अभिभावकों को आर्थिक भार से मुक्त करवाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा आश्रम छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। योजनान्तर्गत ऐसे जनजाति विद्यार्थियों जिनके आस–पास उस स्तर का विद्यालय नहीं है को आश्रम छात्रावास में प्रवेश दिया जाकर निःशुल्क आवास, भोजन आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती है। प्रति विद्यार्थी 675/– रुपये प्रतिमाह भोजन इत्यादि हेतु व्यय किये जाने का प्रावधान है जिसमें पोशाक, बोर्ड फीस इत्यादि हेतु 800 रुपये (एक वर्ष हेतु) प्रति विद्यार्थी का प्रावधान भी सम्मिलित है।

वर्ष 2004–05 से 2006–07 की अवधि में लाभान्वित छात्र–छात्राओं की संख्या एवं व्यय की स्थिति का विवरण निम्न सारणी में दिया गया है :–

सारणी संख्या–20
आश्रम छात्रावासों के संचालन की स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित संख्या (लाखों में)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वितों का प्रतिशत		व्यय का प्रतिशत	
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
1.	2004–05	9310	3846	13156	982.75	391.79	1374.54	70.8	29.2	71.5	28.5
2.	2005–06	9401	3820	13221	984.94	401.62	1386.56	71.1	28.9	71.0	29.0
3.	2006–07*	9581	4437	14018	455.04	205.76	660.80	68.3	31.7	68.9	31.1
	योग	**28292**	**12103**	**40395**	**2422.73**	**999.17**	**3421.90**	**70.0**	**30.0**	**70.8**	**29.2**

*** माह अक्टूबर 2006 तक**

जनजाति क्षेत्र में संचालित आश्रम छात्रावासों में छात्रों का नामांकन कुल नामांकन का 70 प्रतिशत रहा है जबकि छात्राओं का नामांकन 30 प्रतिशत रहा है। आश्रम छात्रावासों में प्रवेश के लिए कुछ नियम है जिसके अनुसार ही प्रवेश दिये जाते हैं, जैसे उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक स्तर के छात्रावासों में उन्हीं छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है जिसके निवास स्थान से पाँच किलोमीटर की दूरी में इस स्तर का विद्यालय नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर के आश्रम छात्रावासों में उस ही छात्र/छात्रा को प्रवेश दिया जाता है जिनके निवास स्थान से तीन किलोमीटर की दूरी में उस स्तर का विद्यालय नहीं है जिस कक्षा में वह प्रवेश ले रहा है। यह भी एक स्थिति है कि अभिभावक अपनी बालिकाओं को घर से दूर नहीं रखना चाहते हैं फिर भी कुल नामांकन की 30 प्रतिशत बालिकाएं आश्रम छात्रावासों से लाभान्वित हो रही है।

3.27 आवासीय विद्यालय संचालन :

जनजाति उपयोजना क्षेत्र, माडा क्षेत्र तथा सहरिया क्षेत्र में बालक/बालिकाओं में शिक्षा के उन्नयन हेतु भारत सरकार द्वारा आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। उक्त आवासीय विद्यालयों को नवोदय विद्यालय तर्ज पर चलाये जाने के प्रावधान है, राज्य सरकार के निर्णयानुसार आवासीय विद्यालयों को शिक्षा विभाग राजस्थान के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।

वर्ष 2005–06 में 9 आवासीय विद्यालय, कोटडा, सलुम्बर एवं खैरवाड़ा (उदयपुर), सीमलवाड़ा (डूँगरपुर), कुशलगढ़ (बाँसवाड़ा), प्रतापगढ़ (चित्तौडगढ़), आबूरोड़ (सिरोही), निवाई(टोंक) व शाहबाद में संचालित हैं। शिक्षा सत्र 2005–06 में इन आवासीय विद्यालयों में प्रत्येक में कक्षा 6, 7, 8, 9 एवं 10 में प्रवेश देकर अध्ययन कराया जा रहा है। इनमें प्रवेश क्षमता 250 छात्र/छात्रा प्रति आवासीय विद्यालय है।

वर्ष 2004–05 से 2006–07 तक की भौतिक प्रगति एवं वित्तीय प्रगति का विवरण निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–21

आवासीय विद्यालयों की प्रगति

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित संख्या (लाखों में)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वितों का प्रतिशत		व्यय का प्रतिशत	
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
1.	2004–05	1186	333	1519	171.87	45.50	217.37	78.1	21.9	79.1	20.9
2.	2005–06	1502	446	1948	106.46	43.51	149.97	77.1	22.9	71.0	29.0
3.	2006–07*	1424	441	1865	9047	27.07	117.11	76.3	23.7	76.9	23.1
	योग	**4112**	**1220**	**5332**	**368.80**	**116.08**	**484.45**	**77.1**	**22.9**	**76.1**	**23.9**

*** माह अक्टूबर 2006 तक**

उक्त सारणी में उपलब्ध सूचना यह स्थिति स्पष्ट करती है कि जनजाति क्षेत्र में संचालित किये जा रहे आवासीय विद्यालयों का लाभ लगभग 22 प्रतिशत बालिकाओं को तथा शेष लाभ बालको दिया जा रहा है। इस स्थिति में बालिकाओं के लिए अधिक स्थान उपलब्ध करवाकर अधिक संख्या में प्रवेश दिया जाना चाहिए।

3.28 छात्र गृह किराया योजना :

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में वर्ष 1986–87 से यह योजना प्रारम्भ की गई। इस योजनान्तर्गत जनजाति के ऐसे छात्र/छात्राऐं जो माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तथा महाविद्यालय की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ते है, उनमें से जिन छात्र/छात्राओं को छात्रावास में स्थानाभाव के कारण आवासीय सुविधा नहीं मिल पाती है और वे किराये के मकान में रहकर नियमित अध्ययन करते हैं, उनको इस योजनान्तर्गत आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है।

वर्ष 1998–99 में लिए गये निर्णयानुसार मकान किराये का भुगतान सर्वप्रथम कॉलेज स्तर पर अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को एवं बाद में कक्षा 12, 11, 10 एवं 9 के छात्र/छात्राओं को भुगतान उपलब्ध बजट राशि की सीमा तक किया जाता है। जिन छात्र/छात्राओं के माता–पिता आयकरदाता है, उन्हें यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। इनमें प्रति छात्र/छात्रा को 150 रुपये प्रतिमाह की दर से अधिकतम 10 माह के हिसाब से मकान किराये का पुनर्भरण किया जाता है, इसमें एक छात्र या दो छात्रों के एक ग्रुप को भी यह सुविधा दी जाती है। वर्ष 2006–07 में योजना में संशोधन किया गया है जिसके अनुसार केवल महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को ही लाभान्वित किया जाना है।

छात्र गृह किराया योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 से 2006–07 तक की स्थिति निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–22

छात्र गृह किराया योजना की स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित संख्या (लाखों में)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वितों का प्रतिशत		व्यय का प्रतिशत	
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
1.	2004–05	6320	1568	7888	92.49	23.0	115.49	80.1	19.9	80.1	19.9
2.	2005–06	6935	2341	9276	96.15	32.48	128.63	74.8	25.2	74.7	25.3
3.	2006–07*	139	11	150	2.08	0.17	2.25	92.7	7.3	92.4	7.6
	योग	**13394**	**3922**	**17314**	**190.72**	**55.65**	**246.37**	**77.4**	**22.6**	**77.4**	**22.6**

*** माह अक्टूबर 2006 तक**

छात्र गृह किराया योजना के अन्तर्गत लाभान्वित छात्राओं की संख्या वर्ष 2004–05 में 1568 रही जो वर्ष 2005–06 में बढ़कर 2341 हो गई अर्थात् यह 19.9 प्रतिशत से बढ़कर 25.2 प्रतिशत हो गई। यह एक अच्छी सुविधा है अतः छात्राओं के मध्य इस योजना का प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिये।

3.29 खेल छात्रावास संचालन :

यह योजना वर्ष 1996–97 से प्रारम्भ की गई। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जनजाति छात्रों को खेल–कूद हेतु प्रोत्साहित करने तथा उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्, जयपुर के खेल छात्रावास पैटर्न पर राजस्थान के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रो में 4 खेल छात्रावास संचालित है। इन छात्रावासो में दक्ष विशेषज्ञों द्वारा तीरन्दाजी एवं ऐथेलेटिक्स का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।

खेल छात्रावासों में सम्पूर्ण राज्य के कक्षा 6 से 12 वीं तक के जनजाति खिलाड़ी बालकों को प्रवेश दिया जाता है। आयु सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं होता है।

छात्रावास में छात्रों का चयन विशिष्ट प्रकार के बेट्री टेस्ट और कौशल परीक्षणों के आधार पर किया जाता है। प्रवेशित छात्रों को अनुमोदित पैटर्न अनुसार भोजन, आवास आदि की सुविधायें निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है। इसके साथ ही बालकों को निकटतम विद्यालयों में नियमित अध्ययन की सुविधायें प्रदान की जाती है।

खेल छात्रावासों से अभी तक बालिकाओं को लाभान्वित नहीं किया गया है। वर्ष 2004–05 में 212 बालकों पर 47.90 लाख रुपये वर्ष 2005–06 में 250 बालकों पर 35. 37 लाख रुपये व्यय किये गये। वर्ष 2006–07 में 240 बालकों पर 55.07 लाख रुपये व्यय किये जाने का अनुमान है।

3.30 विशेष शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण :

जनजाति के खिलाड़ियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु उदयपुर जिले में राणा प्रताप शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय हीता भीण्डर में अनुसूचित क्षेत्र तथा माडा क्षेत्र हेतु बी.पी.एड. का एक–एक विशेष बैच 20 की क्षमता का चलाया जा रहा है। प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण की अवधि में 150 रुपये प्रतिमाह 10 माह तक वृत्तिका प्रदान की जाती है। महाविद्यालय छात्र शुल्क, छात्रावास शुल्क, यूनीफार्म तथा लेखन सामग्री का व्यय विभाग द्वारा वहन किया जाता है।

बैच में प्रवेश राज्य सरकार द्वारा अधिकृत प्रवेश एजेन्सी राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर द्धारा किया जाता है। विशेष बी.पी.एड. प्रशिक्षण में महिला तथा पुरूषों की तुलनात्मक स्थिति निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–23
विशेष बी.पी.एड. प्रशिक्षण की स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित (संख्या)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वितों का प्रतिशत		व्यय का प्रतिशत	
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	2004–05	31	9	40	5.69	1.65	7.34	77.5	22.5	77.5	22.5
2.	2005–06	30	10	40	7.44	2.48	9.92	75.0	25.0	75.0	25.0
3.	2006–07*	32	8	40	2.50	0.50	3.00	80.0	20.0	83.3	16.7
	योग	**93**	**27**	**120**	**15.63**	**4.63**	**20.26**	**77.5**	**22.5**	**77.2**	**22.8**

*** माह अक्टूबर 2006 तक**

उक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि शारीरिक शिक्षा में भी जनजाति क्षेत्र की महिलाओं की भागीदारी हो रही है तथा 25 प्रतिशत महिलाऐं बी.पी.एड. प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। इस योजना का क्षेत्र में प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिये जिससे अधिक संख्या में युवतियाँ इस प्रशिक्षण से लाभ प्राप्त कर सके।

3.31 विशेष बी.एड. प्रशिक्षण :

जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए अनुसूचित क्षेत्र के बांसवाड़ा, उदयपुर व चित्तौडगढ़ जिलों में तथा माडा क्षेत्र के लिए उदयपुर जिले में बी.एड. के विशेष बैच रोजगार के अवसरों की वृद्धि के उद्देश्य से संचालित किये जा रहे हैं। बी.एड. प्रशिक्षण अवधि में छात्रों को 150 रुपये प्रतिमाह की दर से 10 माह तक वृत्तिका प्रदान की जाती है तथा महाविद्यालय छात्र शुल्क, छात्रावास शुल्क तथा पाठ्यक्रम डायरी आदि का व्यय विभाग द्वारा वहन किये जाते हैं। प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पी.टी.ई.टी. परीक्षा देना अनिवार्य है। पी.टी.ई.टी. परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।

विशेष बी.एड.प्रशिक्षण में जनजाति क्षेत्र की महिलाओं द्वारा गत तीन वर्षों में प्राप्त किये गये लाभ का विवरण निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–24
विशेष बी.एड. प्रशिक्षण की स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित (संख्या)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वितों का प्रतिशत		व्यय का प्रतिशत	
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	2004–05	170	24	194	30.47	4.30	34.77	87.6	12.4	87.6	12.4
2.	2005–06	191	113	304	32.14	19.01	51.15	62.8	37.2	62.8	37.2
3.	2006–07*	322	136	458	5.0	2.83	7.83	70.3	29.7	63.9	36.1
	योग	**683**	**273**	**956**	**63.61**	**26.14**	**93.75**	**71.4**	**28.6**	**67.8**	**27.8**

*** माह अक्टूबर 2006 तक**

विशेष बी.एड. प्रशिक्षण के सम्बन्ध में उक्त सारणी यह स्पष्ट करती है कि महिलाओं की भागीदारी वर्ष 2004–05 में केवल 12.4 प्रतिशत थी यह वर्ष 2005–06 में बढ़कर 37.2 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2006–07 में माह अक्टूबर,2006 तक 29.7 प्रतिशत रही है। यह शिक्षा क्षेत्र की स्थिति को दर्शाता है कि जनजाति क्षेत्र में बालिकाएं स्नातक स्तर पर पढ़ने लगी है तथा अध्यापिका भी बनने लगी है।

3.32 मुफ्त स्टेशनरी वितरण (कक्षा प्रथम से पंचम्) :

सहरिया आदिम जनजाति के बालक–बालिकाएं स्कूलों में प्रवेश के बाद उनके पास आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण विद्यालय छोड देते थे। इस कमी को दूर करने के लिए उन्हें कापियाँ, स्कूल बैग, पेन्सिल तथा अन्य आवश्यक स्कूल स्टेशनरी विद्यालय द्वारा ही उपलब्ध करवा दी जाती है। इस कदम से सत्र के मध्य में विद्यालय छोड़ने की स्थिति में कमी आई है।

वर्ष 2004–05 से 2005–06 की अवधि में इस योजना से लाभान्वित बालक–बालिकओं की स्थिति निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–25
मुफ्त स्टेशनरी वितरण (कक्षा प्रथम से पंचम्)

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित संख्या (लाखों में)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वितों का प्रतिशत		व्यय का प्रतिशत	
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
1.	2004–05	6600	4400	11000	6.94	4.62	11.56	60.0	40.0	60.0	40.0
2.	2005–06	9371	5841	15212	7.23	4.80	12.83	61.6	38.4	60.0	40.0
	योग	**15971**	**10241**	**26212**	**14.17**	**9.42**	**23.59**	**60.9**	**39.1**	**60.0**	**40.0**

चित्र संख्या–10
मुफ्त स्टेशनरी वितरण में लाभान्वित छात्र–छात्राओं की संख्या एवं व्यय की स्थिति (वर्ष 2004–05 एवं 2005–06)

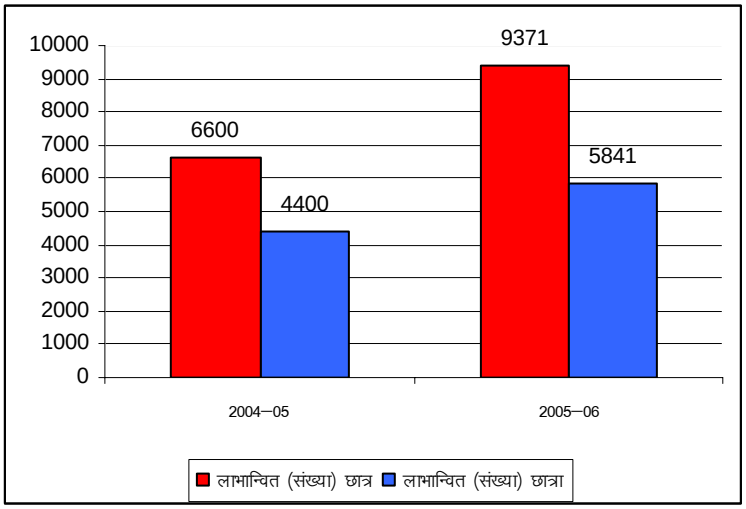

यह सारणी स्पष्ट करती है कि जनजाति क्षेत्र की 40 प्रतिशत बालिकाऐं इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो रही है।

3.33 मुफ्त स्टेशनरी, पोशाक वितरण (कक्षा 6 से 12) :

सहरिया आदिम जनजाति की आर्थिक स्थिति किसी से छुपी नहीं है। विद्यालय जाने के लिए बालक–बालिकाओं को वस्त्र तक उपलब्ध नहीं हो पाते थे, परिणाम स्वरूप बड़ी उम्र की बालिकाऐं विद्यालय जाने में अपने आपको समर्थ नहीं पाती थी। इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुये सहरिया आदिम जनजाति के बालक–बालिकाओं को विद्यालय से स्टेशनरी के साथ ही विद्यालय पोशाक भी उपलब्ध करवायी जाती है।

वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 की अवधि में इन मदों पर किये व्यय एवं लाभान्वित बालक–बालिकाओं का विवरण निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–26
मुफ्त स्टेशनरी, पोशाक वितरण (कक्षा 6 से 12)

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित संख्या (लाखों में)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वितों का प्रतिशत		व्यय का प्रतिशत	
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
1.	2004–05	864	610	1474	5.30	3.54	8.84	58.6	41.4	60.0	40.0
2.	2005–06	1205	800	2005	7.23	4.80	12.03	60.0	40.0	60.0	40.0
	योग	**2069**	**1410**	**3479**	**12.53**	**8.34**	**20.87**	**59.5**	**40.5**	**60.0**	**40.0**

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि संदर्भित वर्षों में क्षेत्र की 40 प्रतिशत बालिकायें योजना से लाभान्वित हो रही है।

3.34 उच्च शिक्षा हेतु सहरिया छात्रों को आर्थिक सहायता :

सहरिया क्षेत्र के छात्र–छात्राओं की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इस स्थिति में सुधार किये जाने के उद्देश्य से इस योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अनुसार प्रत्येक अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 1000 रुपये माह की दर से 10 माह के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवायी जाती है। वर्ष 2004–05 में इस योजना से 15 छात्र एवं 2 छात्राओं को लाभान्वित किया गया तथा 1.70 लाख रुपये व्यय किये गये थे। वर्ष 2005–06 में 16 छात्र एवं 2 छात्राओं को योजना का लाभ दिया गया। वर्ष 2006–07 में माह अक्टूबर 2006 तक केवल 4 छात्रों को लाभ दिया गया है।

3.35 उच्च शिक्षा हेतु जनजाति की छात्राओं को आर्थिक सहायता :

सम्पूर्ण राज्य की जनजाति महिलाओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 1994–95 में यह योजना प्रारम्भ की गई। योजना का लाभ उन जनजाति छात्राओं को प्राप्त होगा महाविधालय में अध्ययनरत हो। इस योजनानुसार प्रत्येक अध्ययनरत छात्रा को 350/– रुपये प्रतिमाह की दर से 10 माह तक (3500 रुपये वार्षिक) आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजनान्तर्गत उन्हीं छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जाती है जिन्होंने महाविद्यालय में पिछली परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रवेश लिया हो लेकिन विभाग द्वारा संचालित बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण प्रतिभावान जनजाति छात्राओं को छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत लाभ नहीं लिया हो। इसके साथ ही आर्थिक सहायता केवल उन्हीं छात्राओं को दी गयी है जिनके माता–पिता आयकर दाता नहीं है।

गत वर्ष 2004–05 से 2006–07 तक दी गई आर्थिक सहायता का विवरण निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–27

उच्च शिक्षा हेतु जनजाति छात्राओं को आर्थिक सहायता की स्थिति

क्र.सं.	वर्ष	लाभान्वित छात्राओं की संख्या	व्यय (लाख रुपये)
1.	2004–05	2778	135.19
2.	2005–06	3311	117.05
3.	2006–07*	821	18.50
	योग	**6910**	**270.74**

***माह अक्टूबर,2006 तक**

उक्त सारणी से स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हो रही है तथा लाभान्वित छात्राओं की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। यहाँ यह देखना आवश्यक है कि लाभान्वित छात्राओं की संख्या में वृद्धि हुई है।

3.36 प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण बोर्ड व विश्वविद्यालय छात्रों को प्रोत्साहन :

वर्ष 1993–94 से यह योजना प्रारम्भ की गई। जनजाति के ऐसे प्रतिभावान छात्र/छात्राऐं जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई–दिल्ली द्वारा आयोजित कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है तथा विश्वविद्यालय में इसी प्रकार के स्नातक एवं स्नातकोत्तर में भी प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को भी महाविद्यालयों के प्राचार्य से सूची प्राप्त होने पर छात्रवृत्ति दी जाती है (250 रुपये प्रतिमाह की दर से 10 माह तक)।

वर्ष 2002–03 से राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि निम्न प्रकार से दी जाती है :–

1. दसवीं बोर्ड की परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्र को 11वीं एवं 12वीं कक्षा में अध्ययन के दौरान राशि दी जाती है, बशर्ते 11वीं कक्षा में छात्र ने कम से कम 48 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं।
2. 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले छात्र को ग्रेज्युएशन के दौरान तीनों वर्ष प्रोत्साहन राशि दी जाती है, बशर्ते छात्र ने प्रथम वर्ष की परीक्षा में कम से कम 48 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हो। इसी प्रकार द्वितीय वर्ष की परीक्षा में कम कम से कम 48 प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले छात्र को ही तृतीय वर्ष में प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
3. स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययन के दौरान भी उक्तानुसार शर्तें लागू होती है।

वर्ष 2004–05 से वर्ष 2006–07 (माह अक्टूबर,2006 तक) की स्थिति का विवरण निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–28

प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण बोर्ड एवं विश्वविद्यालय छात्रों को प्रोत्साहन

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित (संख्या)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वितों का प्रतिशत		व्यय का प्रतिशत	
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
1.	2004–05	1781	445	2226	62.97	15.73	78.70	80.0	20.0	80.0	20.0
2.	2005–06	1096	274	1370	37.46	9.37	46.83	80.0	20.0	80.0	20.0
3.	2006–07*	747	186	933	26.82	6.70	33.52	80.0	20.0	80.0	20.0
	योग	**3624**	**905**	**4529**	**127.25**	**31.80**	**159.05**	**80.0**	**20.0**	**80.0**	**20.0**

*** माह अक्टूबर 2006 तक**

चित्र संख्या–11

प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में लाभान्वित छात्र एवं छात्राओं की संख्या (वर्ष 2004–05 एवं 2005–06)

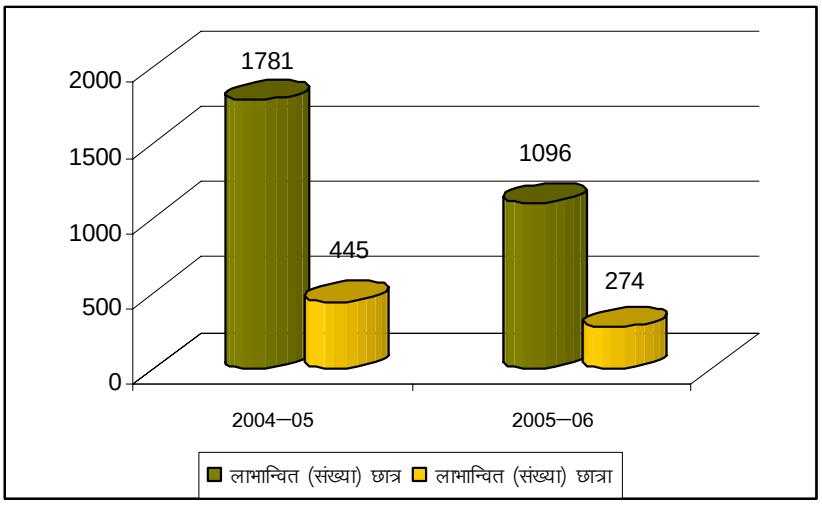

उक्त तालिका में उपलब्ध सूचना के अनुसार इस योजना का लाभ 80.0 प्रतिशत छात्रों को तथा 20 प्रतिशत छात्राओं को उपलब्ध हो रहा है। गत 3 वर्षों की अवधि में छात्राओं की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। अतः इस दिशा में और प्रयत्न किये जाने चाहिए।

3.37 जनजाति छात्रों को प्रतिष्ठित विद्यालयों में शिक्षा :

सामान्यतया जनजाति छात्र आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण प्रतिष्ठित एवं अच्छी शिक्षा देने वाले शैक्षिक विद्यालयों/संस्थाओं में अध्ययन नहीं कर पाते हैं। इसलिए राज्य की कतिपय श्रेष्ठ शैक्षिक संस्थाओं में जनजाति छात्र सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ अध्ययन कराने एवं इन्हें गुणवत्तायुक्त शिक्षा दिलवाने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2001–02 में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के माध्यम से उनके अनुमोदित पैटर्न अनुसार प्रारम्भ किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया।

योजनान्तर्गत शिक्षा विभाग द्वारा 38 निजी प्रतिष्ठित विद्यालयों/संस्थाओं का चयन किया गया। इसमें 28 छात्र एवं 10 छात्राओं के विद्यालय/संस्थाऐं हैं। प्रतिष्ठित विद्यालयों/संस्थाओं को उनके पाठ्यक्रम (प्रोस्पेक्ट्स) के आधार पर प्रवेशित छात्र/छात्राओं को नियमानुसार प्रत्येक व्यय वित्तीय नियमों के अनुसार ट्यूशन फीस, आवास, भोजन, पुस्तकें एवं स्टेशनरी, पोशाक एवं इक्यूपमेन्ट आदि शिक्षा के लिए न्यूनतम एवं आवश्यक है संस्था प्रधान के आवश्यक प्रमाण पत्र के अनुसार उक्त योजना के निर्णयों के अन्तर्गत न्यूनतम राशि स्वीकृत की जाती है जो राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

वर्ष 2004–05 से 2006–07 तक की स्थिति का विवरण निम्न सारणी में देखा जा सकता है :–

सारणी संख्या–29
जनजाति छात्रों को प्रतिष्ठित विद्यालयों में प्रवेश के लिए सहायता

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित (संख्या)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वितों का प्रतिशत		व्यय का प्रतिशत	
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
1.	2004–05	665	278	943	178.43	67.54	245.97	70.5	29.5	72.5	27.5
2.	2005–06	692	221	913	207.08	64.36	271.44	75.8	24.2	76.3	23.7
3.	2006–07*	557	183	740	176.34	57.48	233.82	75.3	24.7	75.4	24.6
	योग	**1914**	**682**	**2596**	**561.85**	**189.38**	**751.23**	**73.7**	**26.3**	**74.8**	**25.2**

*** माह अक्टूबर 2006 तक**

उक्त सारणी में उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य के प्रतिष्ठित विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने की योजना का लाभ बालकों के साथ बालिकाओं द्वारा भी लिया जा रहा है। वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 में लगभग 24 प्रतिशत बालिकाओं द्वारा योजना का लाभ प्राप्त किया गया।

3.38 जनजाति छात्राओं को निःशुल्क साईकिल वितरण :

अनुसूचित क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत जनजाति की छात्राएं जो किसी छात्रावास में निवास न करती हो, को विभाग द्वारा एक–एक साईकिल क्रय कर निःशुल्क देने की योजना वर्ष 2004–05 में प्रारम्भ की गई है। इस योजना से जनजाति की छात्राओं को शिक्षा सम्बन्धी प्रोत्साहन मिलेगा एवं इससे उनमें शिक्षा के प्रति और जागरूकता आयेगी। वर्ष 2005–06 से उक्त योजना में संशोधन किया गया है जिसके अनुसार दसवीं कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को ही लाभान्वित किया जावेगा।

इस योजना का लाभ उन छात्राओं को मिलता है जो कि अनुसूचित क्षेत्र एवं सहरिया क्षेत्र में निवास करती है और उन्हीं क्षेत्रों के स्कूलों में अध्ययनरत है। पाठशाला से घर की दूरी अधिक होने से उन्हें अध्ययन स्थल पर समय पर आने में सुविधा रहती है।

वर्ष 2005–06 में 12297 साईकिल वितरित की गई। इस मद में 202.97 लाख रुपये व्यय किये गये। वर्ष 2006–07 में 6600 साईकिले वितरित की गई जिस पर 157.79 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है।

वर्ष 2006–07 में साईकिल प्राप्त करने वाली छात्राओं की संख्या में कमी आई है। इसका कारण विभाग द्वारा बताया गया है कि अब यह सुविधा केवल कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत छात्राओं तक ही सीमित कर दी गई है। वर्ष 2005–06 में इन कक्षाओं में अध्ययनरत अधिकांश छात्राओं को साईकिले उपलब्ध करवा दी गई थी।

वर्ष 2005–06 में निःशुल्क साईकित वितरण का जिलेवार विवरण निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–30

छात्राओं को साईकिल वितरण की प्रगति

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	वितरित की गई साईकिल (संख्या)	प्रतिशत
1.	उदयपुर	1830	14.9
2.	डूंगरपुर	6006	48.9
3.	बांसवाड़ा	4091	33.3
4.	प्रतापगढ़	293	2.4
5.	आबूरोड़	23	0.2
6.	शाहबाद	46	0.3
	योग	**12297**	**100.0**

उक्त सारणी में उपलब्ध सूचना के अनुसार डूँगरपुर जिले में लाभान्वित बालिकाओं की संख्या सर्वाधिक रही जबकि बांसवाड़ा जिला दूसरे स्थान पर रहा।

3.39 जनजाति छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरण :

वर्ष 2006–07 में 12 बालिकाओं को स्कूटी भी उपलब्ध करवाई जिन पर 4.20 लाख रुपये व्यय किये गये। ऐसी बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है जिन्होंने 10वीं तथा 12वीं की बोर्ड परीक्षाऐं 75 प्रतिशत या अधिक अंक से उत्तीर्ण की है।

3.40 जनजाति महिलाओं को आय संवर्धन :

जनजाति क्षेत्र की आदिवासी महिलाओं को वन उत्पादन एकत्रित कर उनसे आय अर्जित करने की योजना से वर्ष 2005–06 में 240 महिलाओं को लाभान्वित किया गया, इस मद पर विभाग द्वारा 2.40 लाख रुपये व्यय किये गये।

3.41 निःशुल्क आयोडीनयुक्त नमक वितरण :

मुख्यमंत्री महोदया की घोषणा के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004–05 से निःशुल्क नमक वितरण योजना में राज्य के अनुसूचित तथा सहरिया क्षेत्रों में रहने वाले बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय परिवारों को प्रति परिवार प्रतिमाह एक किलो नमक वितरण की योजना बनाई गई है। इसके तहत त्रैमासिक आधार पर प्रत्येक परिवार को 3 किलोग्राम नमक उपलब्ध करवाया जा रहा है।

उक्त योजना माह मार्च,2005 से लागू की गई इस हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005–06 में इस कार्य हेतु 152.58 लाख रुपये उपलब्ध करवाये गये जिसके विरूद्ध 100.38 लाख रूपये व्यय किये गये। 2005–06 में योजना के तहत कुल 562317 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

नमक वितरण सुचारू रूप से किये जाने एवं व्यवस्थित मोनेटरिंग हेतु तहसील स्तर पर एवं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की सेवायें ली जाकर वितरण व्यवस्था की जा रही है। नमक की खरीद भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित से न्यूनतम दर पर की जा रही है।

3.42 विशेष कोचिंग संचालन योजना :

आश्रम छात्रावासों के कक्षा 10 व 12 के छात्र/छात्राओं को आश्रम छात्रावास में ही विषय विशेषज्ञ के मार्फत 3 माह तक कठिन विषयों की कोचिंग कराई जाती है ताकि छात्र/छात्राऐं कठिन विषयों की अच्छी तैयारी कर अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सके। कक्षा 10 में अंग्रेजी, विज्ञान एवं गणित तथा कक्षा 12 में कला वर्ग में अनिवार्य अंग्रेजी व ऐच्छिक अंग्रेजी वाणिज्य वर्ग में अनिवार्य अंग्रेजी तथा तीनों ऐच्छिक विषय तथा विज्ञान वर्ग में अनिवार्य अंग्रेजी तथा चारों ऐच्छिक विषयों की कोचिंग कराई जाती है। विशेष कोचिंग योजनान्तर्गत प्रति विषय प्रतिमाह 1000 रुपये की दर से 3 माह तक मानदेय भुगतान किया जाता है।

वर्ष 2005–06 में इस योजनान्तर्गत राशि 51.12 लाख रुपये के विरूद्ध 14.97 लाख रूपये व्यय किये गये हैं।

3.43 जनजाति प्रतिभावान छात्र/छात्राओं के लिए प्रतिभावान छात्रावास :

अनुसूचित क्षेत्र के प्रतिभाशाली जनजाति छात्रों के लिए 5 प्रतिभावान छात्रावास संचालित किए जा रहे है जिनमें से उदयपुर में 2, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ में 1–1 चल रहे है तथा **वर्ष 2006–07 में उदयपुर में बालिकाओं का नवीन प्रतिभावान छात्रावास प्रारम्भ किया गया है।** इन छात्रावासों में प्रवेश सभी 23 पंचायत समिति के विद्यालयों से कक्षा आठवीं बोर्ड में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्रों को वरियता क्रम में मेरिट से प्रवेश दिया जाता है। आवासीय छात्रों का निःशुल्क भोजन, पुस्तकें, पोशाक, विशेष कोचिंग आदि सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

3.44 **स्वरोजगार :**

जनजाति व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु अनुसूचित क्षेत्र में राजससंघ, उदयपुर तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र में राजस्थान अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि., जयपुर के माध्यम से अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को उद्योग/सेवा/व्यवसाय हेतु योजना में सम्मिलित इकाईयों हेतु आर्थिक सहायता बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाती है। इसमें इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा 10,000 रुपये जो भी कम हो अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना में मुख्य रूप से खादी, ग्रामोद्योग, सेवा छोटे व्यवसाय जैसे सिलाई कार्य, सीमेन्ट की जाली निर्माण, चर्म कार्य, लुहारी कार्य, बूट पालिस, रेडीमेड गारमेन्ट, फल–सब्जी की दुकान, बैलगाड़ी, मनिहारी, बिजली की दुकान, मैकेनिक शॉप, साईकिल दुकान, रेडिया/टी.वी. सेवा केन्द्र, आटा चक्की, ड्राईक्लीन की दुकान, फर्श की घिसाई, सफेद मूसली उत्पादन आदि कार्य सम्मिलित है। वर्ष 2006–07 से गैर अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति व्यक्तियों के समूहों को समूह आधारित उधमों के लिए विभिन्न संसाधन शत प्रतिशत अनुदान पर जिला परिषदों के माध्यम से उपलब्ध करवाए जा रहे है।

वर्ष 2004–05 एवं वर्ष 2005–06 में स्वरोगार की स्थिति का विवरण निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–31

स्वरोजगार कार्यक्रम की प्रगति

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित (संख्या)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वितों का प्रतिशत		व्यय का प्रतिशत	
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	2004–05	2740	630	3370	258.85	60.33	319.18	81.3	18.7	81.1	18.9
2.	2005–06	2471	642	3113	240.60	62.39	302.99	79.4	20.6	79.4	20.6
3.	2006–07*	1090	250	1340	108.97	25.00	133.97	81.3	18.7	81.3	18.7
	योग	**6301**	**1522**	**7823**	**608.42**	**147.72**	**756.14**	**80.54**	**19.46**	**80.46**	**19.54**

*** माह अक्टूबर 2006 तक**

चित्र संख्या–12
स्वरोजगार कार्यक्रम से लाभान्वित पुरूष एवं महिलाओं की संख्या एवं लाभान्वितों का प्रतिशत (वर्ष 2004–05 एवं 2005–06)

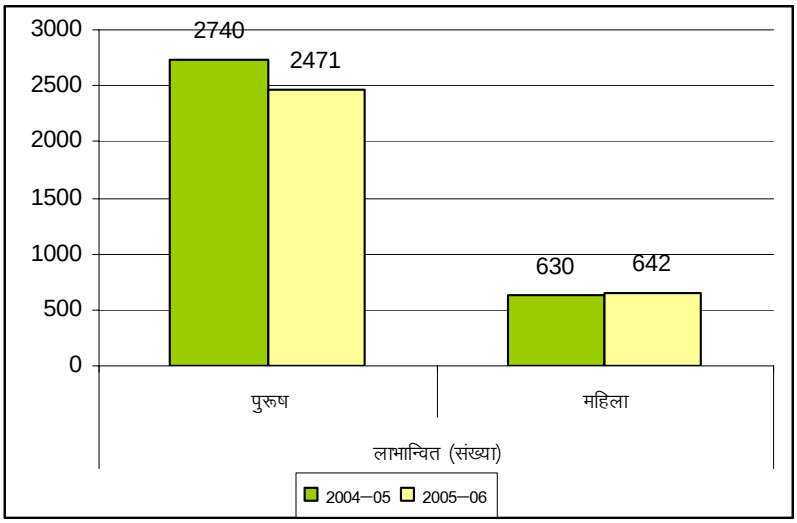

स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाली महिलाओं का प्रतिशत लगभग 18 से 20 प्रतिशत के मध्य रहा है।

3.45 प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना एवं गम्भीर बीमारी हेतु सहायता :

जनजाति क्षेत्र के व्यक्तियों को प्राकृतिक आपदा एवं गम्भीर बीमारी की स्थिति में आर्थिक मदद उपलब्ध करवायी जाती है, वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 में निम्न विवरण के अनुसार सहायता उपलब्ध करवायी गई :–

सारणी संख्या–32
प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना एवं गम्भीर बीमारी हेतु सहायता

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित (संख्या)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वितों का प्रतिशत		व्यय का प्रतिशत	
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	2004–05	163	46	209	5.09	1.47	6.56	78.0	22.0	77.6	22.4
2.	2005–06	123	64	187	4.26	2.50	6.76	65.8	34.2	63.0	37.0
	योग	**286**	**110**	**396**	**9.35**	**3.97**	**13.32**	**72.22**	**27.78**	**70.20**	**29.80**

प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना एवं गम्भीर बीमारी की स्थिति में विभाग द्वारा समय–समय पर सहायता उपलब्ध करवायी गई इसमें महिलाओं की भागीदारी वर्ष 2004–05 में 22 प्रतिशत तथा 2005–06 में 34.2 प्रतिशत रही है। वर्ष 2006–07 में माह अक्टूबर,2006 तक केवल एक महिला को दस हजार रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवायी गई।

3.46 **लघु वन उपज संग्रहण ओवरहैड चार्जेज :**

राजस संघ द्वारा अनुसूचित क्षेत्र एवं सहरिया क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की लघु वन उपजों का संग्रहण आदिवासियों तथा लैम्पस के माध्यम से किया जाता रहा है। राजस संघ द्वारा इन उपजों का संग्रहण दरों में बाजार मूल्यों के अनुपात में समय–समय पर वृद्धि की जाती है। सीतामाता, डैया अम्बासा, पानखा तथा आउन्ट आबू के गेन सेन्च्यूरी क्षेत्र घोषित होने से लघु वन उपज संग्रहण में पिछले कुछ वर्षों में कमी हुई है। इस व्यवसाय में संग्रहित होने वाली लघु वन उपजों में रतनजोत, पुंपाड, कणज, धतुरी, गोंद, छावड़ा, महुआ, प्लास बीज, डोलमा आदि है। गत 3 वर्षों में लाभान्वित की स्थिति निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–33

लघु वन उपज संग्रहण ओवरहैड चार्जेज की स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित (संख्या)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वितों का प्रतिशत		व्यय का प्रतिशत	
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	2004–05	2200	1406	3606	7.0	3.37	10.37	61.0	39.0	67.5	32.5
2.	2005–06	900	605	1505	3.0	1.57	4.57	59.8	40.2	65.6	34.4
	योग	**3100**	**2011**	**5111**	**10.0**	**4.94**	**14.94**	**60.65**	**39.35**	**66.93**	**33.07**

चित्र संख्या–13

लघु वन उपज संग्रहण ओवरहैड चार्जेज लाभान्वित पुरूष एवं महिलाओं की संख्या (वर्ष 2004–05 एवं 2005–06)

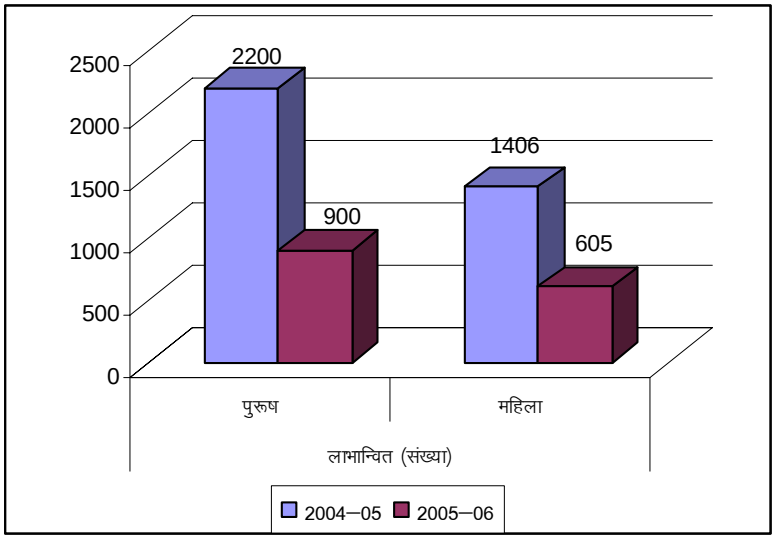

उक्त सारणी के अनुसार लाभान्वित महिलाओं का प्रतिशत 40 रहा है जो उपयुक्त प्रतीत होता है।

व्यक्तिगत लाभ के कार्यक्रमों के अतिरिक्त सामुदायिक लाभ के कार्यक्रम भी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे है जिनमें पुरूष एवं महिला अर्थात् जनजाति परिवार लाभान्वित हो रहे है, जिनका संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है :–

4.0 सिंचाई योजनाएं :

4.1 विस्फोटन द्वारा कृषि कूप गहरा कराना :

वर्तमान में अल्पवृष्टि एवं भू–जल स्तर के नीचे जाने से कुओं का जल स्तर कम हो गया है, ऐसे कुओं को गहरा कराने के लिए निर्धन जनजाति कृषक को विभाग से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कूप में कठोर चट्टाने पाई जाती है, अतः इनका खनन का कार्य मात्र विस्फोटन से ही संभव है। कार्य की कुल इकाई लागत रुपये 8240 है जिसमें विस्फोटन की लागत रुपये 45.00 प्रति विस्फोटन की दर से 72 विस्फोटन हेतु रुपये 3240.00 की आर्थिक सहायता विभाग द्वारा दी जाती है तथा शेष श्रम भाग का वहन कृषक स्वयं करता है। अधिक गहराई तक खनन की आवश्यकता होने पर 144 विस्फोट तक की स्वीकृति दी जाती है। वर्ष 2005–06 में राशि 142.00 लाख रुपये के विरूद्ध 81.52 लाख रुपये का व्यय हुआ एवं 3784 कुए गहरा करने के लक्ष्यों के विपरीत 1660 कुए गहरें किये गये।

4.2 डीजल पम्पसेट का वितरण :

अनुसूचित क्षेत्र के कृषकों द्वारा उनके कृषि भूमि के आस–पास उपलब्ध सतही जल व उनके कृषि कूप में उपलब्ध जल के उपयोगार्थ डीजल एवं विद्युत पम्पसेट जलोत्थान के साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। योजना की लागत लगभग 20,000 रुपये है जिस पर 10,000 रुपये का अनुदान इस विभाग द्वारा देय होता है। शेष राशि की व्यवस्था कृषक स्वयं या अन्य वित्तीय संस्थाओं से बतौर ऋण प्राप्त करके करता है। योजना में वर्ष 2005–06 से संशोधन कर 3–3 कृषकों के समूहों को डीजल पम्पसेट मुफ्त में उपलब्ध करवाए जा रहे है। वर्ष 2005–06 में राशि 122.44 लाख रुपये के विरूद्ध राशि 107.06 लाख रुपये का व्यय हुआ एवं 1100 के लक्ष्यों के विपरीत 921 लक्ष्यों की प्राप्ति की गई।

4.3 एनिकट/वाटरशेड निर्माण :

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में अवस्थित नदी नाले अत्यधिक ढलाव वाले होने से एक ओर तो वर्षा का जल तीव्र गति से बहकर व्यर्थ चला जाता है दूसरी ओर जनजाति कृषकों की नालों के समीन अवस्थित भूमि का कटाव होता है। अतः उक्त क्षति को रोकने के उद्देश्य से एनिकट/वाटरशेड निर्माण का योजना चलाई जा रही है जिससे जल बहाव की गति पर नियन्त्रण किया जाता है व जल की सतही भण्डारण

किया जाता है। भण्डारित जल से भू–जल पुनर्भरण होता है व आस–पास के कुओं का जलस्तर बढ़ता है। साथ ही एनिकट में उपलब्ध सतही जल का कृषक जलोत्थान योजना के माध्यम से लाभ लेते हैं। इस योजना का क्रियान्वयन सिंचाई विभाग, स्वच्छ परियोजना, भू–संरक्षण विभाग, पंचायत समिति, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के माध्यम से किया जाता रहा है। वर्ष 2005–06 में 39 एनीकट के निर्माण के लक्ष्य हेतु 539.39 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2005–06 गत वर्षों के एनीकट के निर्माण पर रुपये 539.39 लाख व्यय किये गये तथा 37 एनीकट कार्य पूर्ण किये गये।

4.4 सामुदायिक जलोत्थान योजना :

अनुसूचित क्षेत्र में नदी नालों एवं बांधों के बेक वाटर में उपलब्ध पानी को सिंचाई हेतु उपयोग करने के लिए विद्युत मोटर द्वारा पानी को ऊंचा उठाकर सिंचाई क्षेत्रफल में वृद्धि किये जाने हेतु वर्ष 2005–06 में 8 लिफ्ट योजनाओं के लिए 150.09 लाख रुपये का प्रावधान किया गया जिसके विरूद्ध 107.20 लाख रुपये व्यय किये गये।

5.0 पशुपालन एवं मत्स्य विभाग :

पशुपालन विभाग के माध्यम से 100 पशु चिकित्सा शिविर आयोजित किये गये। बैफ कार्यक्रम के तहत 1740 परिवारों को लाभान्वित करने के विरूद्ध 1599 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

राजस संघ द्वारा 190 मत्स्य पालकों को मत्स्य बीज क्रय हेतु अनुदान दिया गया एवं 2500 मत्स्य पालकों का बीमा मार्च अन्त तक कराया गया।

6.0 सहकारिता विभाग :

जनजाति व्यक्तियों को सहकारी समितियों के नवीन सदस्य बनाने हेतु अंशपूंजी हिस्सा क्रय अनुदान हेतु वर्ष 2005–06 में 20000 सदस्यों के लक्ष्यों के विपरित 21538 सदस्य बनाये गये तथा 85.90 लाख रूपये व्यय हुए।

7.0 उद्यान विभाग के माध्यम से संचालित योजनाएं :

7.1 किचन गार्डन योजना :

आदिवासी कृषकों को सन्तुलित आहार मिल सके, इसके लिए रसोईघर के पानी से ही घर के पास उपलब्ध भूमि में सीजन की विभिन्न सब्जियों का उत्पादन करने हेतु सब्जी के बीज उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2005–06 में 0.10 लाख रुपये का प्रावधान एवं 2000 कृषकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य के विरूद्ध 0.10 लाख रुपये व्यय किया गया तथा 2000 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

7.2 ट्राइकोडर्मा उपचार कार्यक्रम :

जनजाति क्षेत्र में अदरक की फसल को राईजोम रोट नामक बीमारी से बचाने के लिये ट्राइकोडर्मा उपचार कार्यक्रम के तहत वर्ष 2005–06 में 0.49 लाख रुपये का प्रावधान तथा 800 कृषकों को लाभान्वित किये जाने के लक्ष्य के विरूद्ध 0.42 लाख रुपये व्यय हुए तथा 800 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

7.3 कृषक मेला योजना :

इस योजना के तहत जनजाति कृषकों के लिए प्रदर्शन स्थल के आसपास मेला आयोजित करवाया जाता है जिसमें प्रति मेला लगभग 50 काश्तकार भाग लेते है। वर्ष 2005–06 में रबी एवं जायद में कुल 25 मेले आयोजित करने 22 मेले आयोजित किये गये।

7.4 सब्जी विकास कार्यक्रम :

इस योजना के तहत जनजाति कृषकों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण में अधिक उत्पादन लेने की नवीनतम तकनीक एवं उन्नत बीज दिये जाते हैं। वर्ष 2005–06 में 14.67 लाख रुपये का प्रावधान एवं 1640 कृषक लाभान्वित करने के लक्ष्य के विरूद्ध 10.80 लाख रुपये व्यय कर 986 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

8.0 निष्कर्ष :

भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार केन्द्र तथा राज्य सरकार जनजातियों के जनजीवन को सुधारने, शिक्षित करने, उनके सांस्कृतिक विकास एवं शोषण से मुक्ति दिलवाने तथा उनमें सामाजिक एवं राजनैतिक चैतन्य उत्पन्न करने के लिए अनेक कार्यक्रमों/योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। राज्य में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा इस उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जा रहा है।

वर्ष 2004–05 से जनजाति क्षेत्र में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी कार्यक्रम के अनुसार प्रतिवेदन में दी गई है। इन सभी कार्यक्रमों की स्थिति निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

सारणी संख्या–34

जनजाति क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों पर व्यय एवं लाभ प्राप्तकर्ताओं की स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	लाभान्वित (संख्या)			व्यय (लाख रुपये)			लाभान्वितों का प्रतिशत		व्यय का प्रतिशत	
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	2004–05	96653	64971	161624	2268.59	1222.41	3491.00	59.8	40.2	65.0	35.0
2.	2005–06	67436	47442	114877	2302.65	1763.84	4066.39	58.7	41.3	56.6	43.4
3.	2006–07*	28244	21152	49396	1237.04	936.13	2173.17	57.2	42.8	56.9	43.1
	योग	**192333**	**133565**	**325897**	**5808.28**	**3922.38**	**9730.56**	**59.0**	**41.0**	**60.0**	**40.0**

*** माह अक्टूबर 2006 तक**

यह सारणी वर्ष 2004–05 से वर्ष 2006–07 (माह अक्टूबर,2006 तक) की व्यक्तिगत लाभ से लाभान्वित होने वाले पुरूषों एवं महिलाओं की स्थिति स्पष्ट करती है। वर्ष 2004–05 में कुल लाभान्वितों में से लाभान्वित महिलाओं का प्रतिशत 40.2 रहा है, परन्तु वर्ष 2005–06 में लाभान्वित महिलाओं का प्रतिशत 41.3 हो गया। वर्ष 2006–07 में भी यही स्थिति रही है तथा लाभान्वित महिलाओं का प्रतिशत लगभग 42.8 प्रतिशत (माह अक्टूबर,2006 तक) रहा, संभवतया वर्ष की समाप्ति तक इसमें और भी वृद्धि हो सकती है। व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं पर लाभान्वित महिलाओं पर व्यय का प्रतिशत भी लगभग समान रूप से हुआ। वर्ष 2004–05 में कुल व्यय का 35 प्रतिशत, वर्ष 2005–06 में 43.4 प्रतिशत तथा वर्ष 2006–07 में 43.1 प्रतिशत हुआ। इन 3 वर्षों की अवधि में कुल लाभान्वितों में से महिला लाभान्वितों का प्रतिशत 41 रहा तथा व्यय कुल व्यय का 40 प्रतिशत रहा।

जनजाति क्षेत्र में व्यक्तिगत योजनाओं के अतिरिक्त सामुदायिक योजनाऐं भी संचालित की गई। विभाग द्वारा वर्ष 2004–05 में 8422.64 लाख रुपये, वर्ष 2005–06 में 9753.56 लाख रुपये तथा वर्ष 2006–07 में माह दिसम्बर,2006 तक 6605.02 लाख रुपये का कुल व्यय किया गया।

9.0 सुझाव :

(i) उच्च शिक्षा के स्तर पर एवं विभिन्न प्रशिक्षणों में जनजाति क्षेत्र की बालिकाओं की संख्या तुलनात्मक रूप से कम रही है। अतः इन क्षेत्रों में भी बालिकाओं/ महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाने के लिए आवश्यक प्रयत्न किये जाने चाहिए।

(ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में जनजाति छात्राओं की संख्या बहुत कम रही है, संभवतया इसके कारण बालिकाओं में वांछित शैक्षिक स्तर की कमी रही है अथवा बालिकाओं की इस प्रकार के प्रशिक्षणों में रूचि का अभाव रहा है। अतः इस स्थिति में प्रशिक्षण कार्यक्रमों से होने वाले लाभ का प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिये।

(iii) जनजाति क्षेत्र की महिलाओं को व्यक्तिगत लाभ के कार्यक्रमों में भागीदार बनाये जाने के लिए कार्यक्रमों का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए।

(iv) जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों (बजट) का उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिये ताकि क्षेत्र व उसमें रहने वाले सभी व्यक्ति लाभान्वित हो सके।

(v) विकास योजनाएं क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों, क्षेत्र की माँग एवं आदिवासियों विशेष रूप से महिलाओं की आवश्यकता के अनुरूप बनाई जानी चाहिये जिससे महिलाओं को अधिक लाभ हो सके।

(vi) माँ–बाड़ी केन्द्र क्षेत्र में बालिका शिक्षा के लिए उपयोगी रहे हैं। अतः इनकी संख्या में वृद्धि पर विचार किया जाना चाहिये।

————

परिशिष्ट–1

अनुसूचित क्षेत्र की जनसंख्या

जनगणना विभाग, जयपुर से प्राप्त जनगणना 2001 की सीडी के आधार पर

क्र.सं.	जिला	सम्मिलित तहसील	ग्राम पंचायत	ग्राम संख्या	जनसंख्या		जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत
					कुल	जनजाति	
1.	**बांसवाड़ा**	**5**	**325**	**1504**	**1501589**	**1085272**	**72.27**
i)	घाटोल तहसील			317	311332	244828	78.64
ii)	गढ़ी			170	247468	129440	52.31
iii)	बांसवाड़ा			326	371320	226605	61.03
iv)	बागीदोरा			294	287935	231384	80.36
v)	कुशलगढ़			397	283534	253015	89.24
2.	**डूंगरपुर**	**4**	**237**	**858**	**1107643**	**721487**	**65.14**
i)	डूंगरपुर			281	392424	280782	71.55
ii)	आसपुर			146	184508	91190	49.42
iii)	सागवाड़ा			206	287288	156473	54.47
iv)	सीमलवाड़ा			225	243423	193042	79.30
3.	**उदयपुर**	**7**	**314**	**1564**	**1433565**	**1013728**	**70.71**
i)	झाड़ोल			249	193810	135152	69.73
ii)	खेरवाड़ा			252	268976	202529	75.30
iii)	कोटडा			304	183504	163903	89.32
iv)	सराडा			185	223380	138195	61.87
v)	सलूम्बर			234	212492	111419	52.43
vi)	धरियावद			250	214098	168625	78.76
vii)	गिर्वा (आंशिक)			81	137305	93905	68.39
4.	**चित्तौडगढ़**	**2**	**80**	**537**	**356488**	**196213**	**55.04**
i)	प्रतापगढ़			358	236651	115636	48.86
ii)	अरनोद			179	119837	80577	67.24
5.	**सिरोही**	**1**	**25**	**81**	**114818**	**76526**	**66.65**
i)	आबूरोड ब्लाक			81	114818	76526	66.65
	योग उपयोजना क्षेत्र	**19**	**981**	**4544**	**4514103**	**3093226**	**68.52**
	राजस्थान				**56507188**	**7097706**	**12.56**

स्त्रोत – प्रशासनिक प्रतिवेदन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, वर्ष 2005–06